रजिस्ट्री सं. डी.--(डी एन)--73

REGISTERED NO. D--(DN)--73

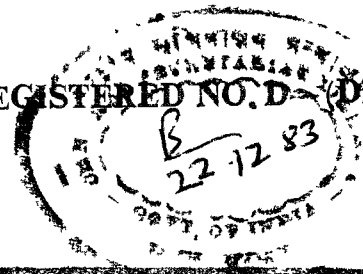

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 49] नई दिल्ली, शनिवार दिसम्बर 3, 1983 (अग्रहायण 12, 1905)
No. 49] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 3, 1983 (AGRAHAYANA 12, 1905)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that if may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I--खण्ड-1--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोडकर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं .	775
भाग I--खण्ड-2--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोडकर) द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1653
भाग I--खण्ड 3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	29
भाग I--खण्ड 4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियां आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1729
भाग II--खण्ड 1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम .	*
भाग II--खण्ड-1-क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ . .	*
भाग II--खण्ड 2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट . . .	*
भाग II--खंड -3-उप-खंड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोडकर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोडकर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपलब्धियां आदि भी शामिल है)	2615
भाग II--खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोडकर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोडकर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं . . .	4475
भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनो को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) . . .	*
भाग II--खण्ड 4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश . . .	575
भाग III--खण्ड-1--उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं . .	21463
भाग III--खण्ड 2--पेटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस .	753
भाग III--खण्ड 3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	227
भाग III--खण्ड 4--विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनायें आदेश, विज्ञापन, और नोटिस शामिल हैं . .	3997
भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्ति और गैर-सरकारी निकायो द्वारा विज्ञापन और नोटिस	203
भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़े को दिखाने वाला अनुपूरक	

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई।

CONTENTS

	PAGES
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Governmen India (other than the Ministry of Defence) ..	775
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	1653
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resotutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	29
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1729
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	
PART II— ECTIION 2—Bills and Reports of . the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	2615
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	4475
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories)	
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	575
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railways Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India.	21463
PART II—SIECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta	753
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners ..	227
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies ..	3997
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	203
PART V—Supplement showing statistics of Birth and Deaths etc, both in English and Hindi ..	*

*Folio Nos not received

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिवत् नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 नवम्बर 1983

सं० 84-प्रेस/83—राष्ट्रपति सहर्ष निर्देश देते हैं कि राष्ट्रपति सचिवालय की 17 जनवरी, 1973 की अधिसूचना सं०-5-प्रेस/73 के अन्तर्गत भारत के राजपत्र के भाग-I खण्ड 1, में 27 जनवरी, 1973, को प्रकाशित आहत मेडल से सम्बन्धित अध्यादेश में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

2. उक्त अधिसूचना के खण्ड चतुर्थ के बाद निम्नलिखित प्रकार से नया खण्ड पंचम जोड़ा जाएगा :—

"यदि आहत मेडल प्राप्तकर्ता किसी भी तरह की संक्रिया या राष्ट्र विरोधियों को दबाने की कार्रवाई में दुश्मन की सीधी कार्रवाई के कारण 15 अगस्त, 1947, को या उसके बाद दुबारा आहत हो गया है जिससे कि वह आहत मेडल प्राप्त करने का पात्र बन गया/बन जाता है तो उसे आहत मेडल के बार द्वारा मान्यता दी जाएगी जिसे आहत मेडल के उस रिबन के साथ जोड़ा जाएगा जिससे आहत मेडल पहना जाता है और इस तरह हर अतिरिक्त आहत मेडल के लिए अतिरिक्त बार पहना जाएगा।"

3. वर्तमान खण्ड पंचम्, षष्ठम और सप्तम का क्रमांक तदनुसार क्रमशः खण्ड षष्ठम्, सप्तम और अष्ठम् के रूप में बदल दिया जाएगा।

सु० नीलकण्ठन
राष्ट्रपति का उप-सचिव

गृह मंत्रालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नियम

नई दिल्ली, दिनांक 3 दिसम्बर 1983

सं० 10/2/83 के० से०-II—केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा—ग्रेड "घ" में अस्थायी रिक्तियों को भरने के प्रयोजन के लिये सन् 1984 में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के नियम सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किए जाते हैं।

2. कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस परीक्षा का संचालन इन नियमों के परिशिष्ट में विहित विधि से किया जाएगा।

किस तारीख को और किन-किन स्थानों पर परीक्षा ली जाएगी, इसका निर्धारण आयोग करेगा।

3. परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी किये गये नोटिस में निर्दिष्ट की जाएगी। भूतपूर्व सैनिकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये रिक्त स्थानों के संबंध में आरक्षण सरकार द्वारा निर्धारित ढंग से किये जाएंगे।

1. भूतपूर्व सैनिक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने संघ की सशस्त्र सेनाओं में, जिनके अन्तर्गत भूतपूर्व भारतीय रियासतों की सशस्त्र सेनाएं भी शामिल हैं, किन्तु जिनके अन्तर्गत आसाम, राइफल्स सेना सुरक्षा कोर, जनरल रिजर्व इंजीनियरी बल, लोक सहायक सेना और प्रादेशिक सेना नहीं आते, शपथ ग्रहण के पश्चात् कम से कम छः मास की निरन्तर अवधि तक किसी रैंक में (चाहे योद्धा के रूप में या गैर-योद्धा के रूप में) सेवा की है, और

(क) जिसे उसके अपने अनुरोध पर या कदाचार अथवा अदक्षता के कारण पदच्युति या बर्खास्तगी के कारण के अलावा अन्य किसी रूप में निर्मुक्त कर दिया गया है, अथवा ऐसी निर्मुक्ति तक के लिए रिजर्व को स्थानान्तरित कर दिया गया है, या

(ख) जिसे यथापूर्वोक्त निर्मुक्ति या रिजर्व को स्थानान्तरित किये जाने के लिये हकदार बनने के लिये अपेक्षित सेवा की अवधि पूरी करने के लिये अधिक से अधिक छः मास सेवा करनी है; या

(ग) जिसे संघ की सशस्त्र सेनाओं में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर लेने के पश्चात् उसके अपने ही अनुरोध पर निर्मुक्त कर दिया गया है।

2. शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति से शारीरिक रूप से ऐसा विकलांग व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे शारीरिक दोष हो अथवा अंगविकृति हो जिससे हड्डियों, पेशियों तथा जोड़ों के सामान्य कार्य में बाधा उत्पन्न होती हो।

परीक्षा में बैठने वाले शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों को सहायक लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3. अनुसूचित जाति/आदिम जाति का अभिप्राय उस किसी भी जाति से है जो निम्नलिखित में उल्लिखित है :—

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) आदेश, 1950; (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951, संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) (संघ राज्यक्षेत्र) आदेश, 1951, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति सूचियां (संशोधन) आदेश, 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, तथा उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971, द्वारा यथासंशोधित, संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति, आदेश, 1956, संविधान (अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह) अनुसूचित आदिम जाति, आदेश, 1959, संविधान (दादर तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962, संविधान (दादर तथा नागर हवेली) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1962, संविधान (पाण्डिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964, संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967, संविधान (गोवा दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968, संविधान (गोवा दमन तथा दीव) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1968, संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1970, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति (संशोधन) अधिनियम, 1976, संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978 तथा संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जन जाति आदेश, 1978।

4. (1) यह आवश्यक है कि उम्मीदवार या तो—

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल का रहने वाला हो, या

(ग) भूटान का निवासी हो, या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत में आया हो, या

(ङ) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और केन्या, उगांडा और तंजानिया संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व तंगानिका व जंजीबार) के पूर्व अफ्रीकी देशों, जाम्बिया, मलावी, जायरे, इथोपिया और वियतनाम से आया हो।

आगे यह कि उपर्युक्त प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) तथा (ङ) का कोई उम्मीदवार वही व्यक्ति होगा जिसके लिये भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया हो।

(2) किसी उम्मीदवार को, जिसके मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है, लेकिन नियुक्ति प्रस्ताव केवल तब दिया जाएगा जबकि जिस पद पर उम्मीदवार के नियुक्त किए जाने की संभावना है, उस पद के प्रशासनिक रूप से संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा उम्मीदवार को आवश्यक पात्रता प्रमाण पत्र दे दिया गया हो।

5. (क) इस परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार की आयु 1-1-1984 को 18 वर्ष से कम और 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए अर्थात् उसका जन्म 2 जनवरी, 1959 से पहले और 1 जनवरी, 1966 के बाद नहीं हुआ हो।

(ख) उन व्यक्तियों के संबंध में ऊपरी आयु सीमा में 35 वर्ष तक छूट दी जाएगी जो केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में भाग लेने वाले भारत सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यालयों में आशुलिपिकों (जिनमें भाषा आशुलिपिक भी शामिल हैं) लिपिकों/आशु टंकको/हिन्दी लिपिको/हिन्दी टंककों के पदों पर नियमित रूप से नियुक्त हैं और जिन्होंने 1 जनवरी, 1984 को आशुलिपिकों (जिनमें भाषा आशुलिपिक भी शामिल हैं) लिपिकों/आशु-टंकको/हिन्दी लिपिकों/हिन्दी टंककों के रूप में कम से कम 2 वर्ष की लगातार सेवा कर ली है तथा उक्त पदों पर अभी तक काम कर रहे हैं।

(ग) उन भूतपूर्व सैनिकों के मामलों में, जिन्होंने संघ की सशस्त्र सेना में कम से कम छः महीने की निरन्तर सेवा की हो, सशस्त्र सेना में उनकी कुल सेवा में तीन वर्ष की वृद्धि करने की सीमा तक ऊपरी आयु में छूट दी जाएगी।

आयु में इस छूट के अधीन परीक्षा में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवार सभी रिक्तियों के लिए प्रतियोगी होंगे भले ही वे भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हों या अनारक्षित।

टिप्पणी :—उपरोक्त नियम 5 (ग) के प्रयोजन के लिए किसी भूतपूर्व कर्मचारी की सशस्त्र सेना में आवाह्न पर सेवा ("काल आफ सर्विस") की अवधि भी सशस्त्र सेना में की गई सेवा के रूप में समझी जाएगी।

(घ) उपरिलिखित ऊपरी आयु सीमा में निम्नलिखित और छूट होगी :—

(i) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक,

(ii) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में प्रव्रजन किया हो, तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक;

(iii) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या किसी अनुसूचित जनजाति का हो तथा भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) का सद्भाविक विस्थापित व्यक्ति भी हो और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में प्रव्रजन किया हो, तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक;

(iv) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से सद्भावपूर्वक प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो और अक्तूबर 1984 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो, या प्रव्रजन करने वाला हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक;

(v) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो और श्रीलंका से सद्भावपूर्वक प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो तथा अक्तूबर 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर 1964 को या उसके बाद उसने भारत मे प्रव्रजन किया हो या करने वाला हो, तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक;

(vi) यदि उम्मीदवार भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने कीनिया, उगांडा, या तंजानिया संयुक्त गणराज्य से प्रव्रजन किया हो या जांबिया, मालावी, जेरे और इथोपिया से प्रत्यावर्तित हो, तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक;

(vii) यदि उम्मीदवार बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और पहली जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो, तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक;

(viii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से सम्बन्धित हो तथा बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और पहली जून, 1963 को या उसके बाद, भारत में प्रव्रजित हुआ हो, तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक;

(ix) किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा उपद्रवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्यवाहियों को करते समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त रक्षा सेवा कार्मिकों के मामले में अधिकतम 3 वर्ष तक;

(x) किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा उपद्रवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्यवाहियां करते समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों से संबंधित रक्षा सेवा कार्मिकों के मामले में अधिकतम 8 वर्ष तक;

(xi) 1971 में हुए भारत–पाक संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाहियों में विकलांग हुए तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त किए गए सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों के मामलों में अधिकतम 3 वर्ष तक;

(xii) 1971 में हुए भारत–पाक, संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाहियों मे विकलांग हुए तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त किए गए सीमा सुरक्षा बल के ऐसे कार्मिकों के मामलों में अधिकतम 8 वर्ष तक, जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिम जातियों के हों;

(xiii) यदि कोई उम्मीदवार वास्तविक रूप से प्रत्यावर्तित मूलतः भारतीय व्यक्ति (जिसके पास भारतीय परिपत्र हो) और ऐसा उम्मीदवार जिसके पास वियतनाम में भारतीय राजदूतावास द्वारा जारी किया गया आपातकाल का प्रमाण-पत्र हो और जो वियतनाम से जुलाई, 1975 से पहले भारत नहीं आया हो तो उसके लिए अधिक से अधिक 3 वर्ष;

(xiv) यदि उम्मीदवार शारीरिक रूप से विकलांग हो अर्थात् जिसका कोई अंग विकृत है तो, अधिक से अधिक 10 वर्ष; और

(xv) ऐसी विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और न्यायिक तौर पर अपने पतियों से अलग हुई महिलाओं के मामले में जिन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है, 35 वर्ष की आयु (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 40 वर्ष तक) तक।

(ङ) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में भाग लेने वाले मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में इस समय कार्य कर रहे उन तदर्थ ग्रेड "घ" आशुलिपिकों के मामले में भी ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जा सकती है जिन्हें रोजगार कार्यालयों के माध्यम से नियुक्त किया गया है, परन्तु शर्त यह है कि तदर्थ आधार पर ग्रेड "घ" में अपनी नियुक्ति के समय वे आयु सीमाओं के भीतर थे ।

ऊपर की गई व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयु सीमा में किसी भी हालत में छूट नहीं दी जा सकती है ।

ध्यान दें :– (i) जिस उम्मीदवार को उपर्युक्त नियम 5 (ङ) में उल्लिखित आयु छूट के अधीन परीक्षा में प्रवेश दे दिया गया हो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है यदि आवेदन पत्र भेजने के बाद वह परीक्षा से पहले या परीक्षा देने के बाद सेवा से त्यागपत्र दे देता है या विभाग द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती है किन्तु आवेदन पत्र भेजने के बाद यदि उसकी सेवा या पद से छटनी हो जाती है तो वह पात्र बना रहेगा ।

ध्यान दें :– (ii) ऐसा आशुलिपिक (भाषा आशुलिपिक। आशु टंकक/हिन्दी लिपिक/हिन्दी टंकक सहित) जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संवर्गबाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति पर है अथवा जिससे किसी अन्य पद पर स्थानांतरित कर दिया गया है परन्तु उसका धारणाधिकार उस पद पर है जिससे वह स्थानान्तरित किया गया था, यदि वह अन्यथा पात्र है परीक्षा में बैठने का पात्र होगा ।

6. उम्मीदवारों ने केन्द्र या राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय की मैट्रिक परीक्षा अवश्य पास की हो, अथवा उसके पास किसी राज्य के शिक्षा बोर्ड की माध्यमिक स्कूल परीक्षा के बाद हाई स्कूल परीक्षा का या कोई और ऐसा प्रमाण–पत्र हो जिसे राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा नौकरी में प्रवेश के लिए मैट्रिक के प्रमाण पत्र के समकक्ष माना गया हो ।

नोट –1 कोई भी उम्मीदवार जिसने ऐसी कोई परीक्षा दे दी है जिसके पास करने पर वह आयोग की परीक्षा के लिए शैक्षिक रूप से पात्र होगा परन्तु उसे परीक्षाफल की सूचना नहीं मिली है तथा ऐसा उम्मीदवार जो ऐसी अर्हक परीक्षा में बैठने का इच्छुक है आयोग की परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र नहीं होगा ।

नोट –2 आपवादिक परिस्थितियों में केन्द्रीय सरकार किसी ऐसे उम्मीदवार को भी परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र मान सकती है, जिसके पास उपर्युक्त नियम में निर्धारित शैक्षिक अर्हताओं में से कोई अर्हता नहीं हों, बशर्ते कि उम्मीदवार ने किसी संस्था द्वारा ली गई कोई ऐसी परीक्षा पास कर ली हो जिसका स्तर केन्द्रीय सरकार के मतानुसार ऐसा हो कि उसके आधार पर उम्मीदवार को उक्त परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है ।

7. जिसने

(क) ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह अनुबन्ध किया है जिसका जीवित पति/पत्नी पहले से है, या

(ख) जीवित पति/पत्नी के रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह अनुबन्ध किया है ।

वह सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाए की ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति तथा विवाह सूत्र के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले वैयक्तिक कानून के अनुसार स्वीकार्य है और ऐसा करने के अन्य कारण भी है, तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है ।

8. जो उम्मीदवार स्थायी अथवा अस्थायी रूप से सरकारी नौकरी में पहले से हो, वह परीक्षा में बैठने के लिए सीधे आवेदन कर सकता है परन्तु उसे आशुलिपिक परीक्षा में बैठने की अनुमति से पहले अपने कार्यालय से आयोग को एक अनापत्ति प्रमाण–पत्र भेजना होगा ।

9. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जो संबंधित सेवा/पद के अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक निभाने में बाधक हो । यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित डाक्टरी परीक्षा के बाद किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हुआ कि वह इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सका है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी । केवल उन्हीं उम्मीदवारों की डाक्टरी परीक्षा की जाएगी जिन पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने की सम्भावना हो ।

टिप्पणी :– अशक्त भूतपूर्व रक्षा कार्मिकों के मामले में रक्षा सेवा के सैन्य विघटन डाक्टरी बोर्ड (डीमोबीलाइजेशन मेडिकल बोर्ड) द्वारा किया गया स्वस्थता प्रमाण पत्र नियुक्ति के प्रयोजन के लिए पर्याप्त समझा जाएगा ।

10. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा ।

11. किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जायेगा । जब तक उसके पास आयोग का प्रवेश पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमिशन) न हो ।

12. सशस्त्र सेना से निवृत भूतपूर्व सैनिक तथा जिन्हें आयोग के नोटिस के अंतर्गत शुल्क की छूट दी गई है को छोड़कर सभी उम्मीदवारों का आयोग के नोटिस में निर्धारित शुल्क देना होगा ।

13. यदि उम्मीदवार ने अपनी उम्मीदवारी के लिए किसी प्रकार का समर्थन प्राप्त करने का यत्न किया तो उसे परीक्षा में प्रवेश के लिए अयोग्य माना जा सकता है ।

14. यदि किसी उम्मीदवार का आयोग द्वारा निम्नलिखित बातों के लिए दोषी घोषित कर दिया जाता है कर या दिया गया हो कि उसने :–

(I) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा,

(II) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(III) किसी अन्य व्यक्ति से नाम बदल कर परीक्षा दिलाई है, अथवा

(IV) जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(V) गलत या झूठे वक्तव्य दिये हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(VI) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(VII) परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या

(VIII) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखी हों जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हो, या

(IX) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो, या

(X) परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो ,

(XI) उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा आयोग को अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया हो, तो उस पर अपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासीक्यूशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे —

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा से, जिसका वह उम्मीदवार है, बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए

(1) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिये,

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी नौकरी से वंचित किया जा सकता है, और

(ग) यदि वह पहले से सरकारी नौकरी में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है ।

15. परीक्षा के बाद आयोग हर एक उम्मीदवार को अन्तिम रूप से दिये गये कुल प्राप्तांकों के आधार पर उनके योग्यता क्रम के अनुसार अनके नामों की सूची बनायेगा और उस क्रम के अनुसार आयोग उस परीक्षा में जितने उम्मीदवारों को अर्हता प्राप्त समझेगा, उनकी केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड 'घ' में इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरी जानेवाली अनारक्षित रिक्तियों में नियुक्ति के लिए अपेक्षित संख्या तक सिफारिश की जाएगी ।

परन्तु यदि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों द्वारा सामान्य मानकों के आधार पर नहीं भरी जा सकती हों, तो आरक्षित कोटा में कमी को पूरा करने के लिए आयोग द्वारा स्तर में छूट देकर, चाहे परीक्षा के योग्यता क्रम में उनका कोई भी स्थान हो, सेवा में चयन करने के लिए उनकी सिफारिश की जाएगी बशर्ते कि ये उम्मीदवार इन सेवाओं में चयन के लिए उपयुक्त हो। आयोग द्वारा जिन भूतपूर्व सैनिकों को परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझा जायेगा वे अपने लिए आरक्षित रिक्तियों में नियुक्त होने के पात्र होंगे चाहे इस परीक्षा के योग्यता क्रम में उनका कोई भी स्थान हो।

परन्तु यह भी कि यदि अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जन जातियों से सम्बन्धित भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षित रिक्तियों की संख्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों द्वारा सामान्य मानकों के आधार पर नहीं भरी जा सकती हों तो आरक्षित कोटे में कमी को पूरा करने के लिए आयोग द्वारा स्तर में छूट दे कर, चाहे परीक्षा के योग्यताक्रम में उनका कोई भी स्थान हो, सेवा में चयन करने के लिए उनकी सिफारिश की जायेगी बशर्ते कि ये उम्मीदवार इन सेवाओं में चयन के लिये उपयुक्त हों ।

16. हर एक उम्मीदवार को परीक्षा फल की सूचना किस रूप में तथा किस प्रकार दी जाए, इसका निर्णय आयोग अपने विवेकानुसार करेगा और आयोग परीक्षा फल के सम्बन्ध में उनसे कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा।

17. उम्मीदवार के चरित्र तथा पूर्ववृत्तों की आवश्यक जांच के बाद जब तक सरकार इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार इस सेवा में नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है, तब तक परीक्षा में पास हो जाने मात्र से नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता ।

18. इस परीक्षा के द्वारा जिस सेवा के लिए भर्ती की जा रही है उसके संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट-II में दिए गए हैं।

एच० जी० मण्डल, अवर सचिव

परिशिष्ट-I

भाग क. लिखित परीक्षा

परीक्षा के विषय, प्रत्येक विषय के लिए दिया गया समय तथा पूर्णांक और पाठ्य विवरण तथा स्तर निम्न प्रकार होंगे :—

विषय	दिया गया समय	पूर्णांक
(I) सामान्य अंग्रेजी	1½ घंटा	100
(II) निबन्ध	1 घंटा	50
(III) सामान्य ज्ञान	1½ घंटा	100

टिप्पणी :—सामान्य ज्ञान तथा सामान्य अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में वस्तुनिष्ट बहु विकल्पी प्रकार के प्रश्न होंगे ।

स्तर तथा पाठ्य विवरण :

टिप्पणी :—प्रश्न पत्रों का स्तर लगभग वही होगा जो किसी भारतीय विश्वविद्यालय की मैट्रिकुलेशन परीक्षा का होता है ।

सामान्य अंग्रेजी : यह प्रश्न पत्र इस ढंग से तैयार किया जाएगा जिससे कि उम्मीदवार के अंग्रेजी व्याकरण और रचना के ज्ञान की तथा अंग्रेजी भाषा को समझने और शुद्ध अंग्रेजी लिखने की उनकी योग्यता की जांच हो जाए । भाषा की क्रम-बद्धता, सामान्य अभिव्यक्ति, तथा कुशल प्रयोग को मूल्यांकन के समय ध्यान में रखा जाएगा। इस प्रश्न पत्र में शब्दों के शुद्ध प्रयोग, सरल मुहावरों, और अव्ययों (प्रीपोजीशन), डायरेक्ट और इन डायरेक्ट स्पीच आदि पर प्रश्न रखे जा सकते हैं।

निबन्ध :—कई विशिष्ट विषयों में से एक पर निबन्ध लिखना होगा ।

सामान्य ज्ञान :—निम्नलिखित विषयों की थोड़ी बहुत जानकारी :—

भारत का संविधान, पंचवर्षीय योजनाएं, भारतीय इतिहास और संस्कृति, भारत का सामान्य और आर्थिक भूगोल, वर्तमान

घटनाक्रम, सामान्य विज्ञान और दिन-प्रतिदिन नजर आने वाली ऐसी बातें जिनकी जानकारी पढ़े लिखे व्यक्ति को होनी चाहिए। उम्मीदवारों के उत्तरों से यह प्रकट होना चाहिए कि उन्होंने प्रश्नो को अच्छी तरह से समझा है। उनके उत्तरों में किसी पाठ्य पुस्तक के ब्यौरेवार ज्ञान की अपेक्षा नहीं की जाती है ।

1. उम्मीदवारो को "निबन्ध" के प्रश्न पत्र का उत्तर अंग्रेजी अथवा हिन्दी में देने का विकल्प होगा। जो उम्मीदवार 'निबन्ध के प्रश्न पत्र का उत्तर हिन्दी में देने का विकल्प देंगे उन्हें आशुलिपि की परीक्षा भी हिन्दी में ही देनी होगी तथा जो उम्मीदवार 'निबन्ध' प्रश्न पत्र का उत्तर अंग्रेजी में देने का विकल्प देंगे उन्हें आशुलिपि परीक्षा भी अंग्रेजी में ही देनी होगी।

टिप्पणी :—जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में निबन्ध के प्रश्न पत्र का उत्तर तथा आशुलिपि परीक्षा हिन्दी (देवनागरी) में देने के इच्छुक हों, वे यह विकल्प आवेदन पत्र के उपयुक्त कालम में लिखें । अन्यथा, यह माना जायेगा कि उम्मीदवार लिखित परीक्षा तथा आशुलिपिक परीक्षा अंग्रेजी में देंगे ।

एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम समझा जाएगा और उक्त कालम में कोई परिवर्तन करने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

2. उम्मीदवार को सभी उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे। किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नही दी जाएगी।

3. आयोग अपने निर्णय से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक अंक निर्धारित कर सकता है।

4. केवल उन्हीं उम्मीदवारों को आशुलिपि परीक्षा के लिए बुलाया जायेगा जो आयोग के विवेक के अनुसार न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेंगे ।

5 केवल सतही ज्ञान के लिये अंक नहीं दिये जायेंगे।

6. अस्पष्ट लिखावट के कारण, लिखित विषयों में पूर्णांकों में से 5 प्रतिशत अंक काट लिये जाएंगे ।

7. परीक्षा के सभी विषयों में कम से कम शब्दों में, क्रमबद्ध प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक-ठीक की गई भावाभिव्यक्ति को विशेष महत्व दिया जाएगा ।

भाग—ख

हिन्दी या अंग्रेजी आशुलिपि परीक्षा 300 अंक

(लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों के लिए)

आशुलिपि परीक्षा के बारे में ब्यौरे इस प्रकार होंगे :—

आशुलिपि परीक्षा की योजना

उम्मीदवारों को अंग्रेजी अथवा हिन्दी में 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट के लिए एक श्रुत लेख की परीक्षा देनी होगी। जो उम्मीदवार अंग्रेजी में परीक्षा देने का विकल्प देंगें उन्हें 65 मिनट में सामग्री का लिप्यन्तर करना होगा और जो उम्मीदवार हिन्दी में परीक्षा देने का विकल्प देंगे उन्हें 75 मिनट में सामग्री का लिप्यन्तर करना होगा ।

1. उम्मीदवारों को अपने आशुलिपि नोट टंकण मशीन पर लिप्यन्तर करने होंगे, और इस प्रयोजन के लिए उन्हें अपनी टंकण मशीन लानी होगी।

2. जो उम्मीदवार हिन्दी में आशुलिपि परीक्षा देने का विकल्प देंगे उन्हें अपनी नियुक्ति के बाद अंग्रेजी आशुलिपि सीखनी आवश्यक होगी और जो उम्मीदवार अंग्रेजी में आशुलिपि परीक्षा देने का विकल्प देंगे उन्हें हिन्दी आशुलिपि सीखनी आवश्यक होगी ।

परिशिष्ट—II

केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा से सम्बन्धित संक्षिप्त विवरण

केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में इस समय निम्नलिखित चार ग्रेड हैं :—

(1) ग्रेड-क : रुपए 650-30-740-35-810-द. रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 ।

(2) ग्रेड-ख : रुपए 650-30-740-35-880-द० रो०-40-1040

(3) ग्रेड-ग : रुपए 425-15-500-द० रो०-15-560-20-700-द० रो०-25-800

(4) ग्रेड-घ : रुपए 330-10-380-द० रो०-12-500-द० रो०-15-560

2. उक्त सेवा के ग्रेड-घ में नियुक्त व्यक्ति दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन रहेंगे। इस अवधि के दौरान उन्हें ऐसे प्रशिक्षण लेने आवश्यक हैं तथा ऐसी परीक्षाएं पास करनी आवश्यक है जो सरकार द्वारा निर्धारित की जाएं।

3. परिवीक्षा की अवधि पूरी होने पर सरकार सम्बन्धित व्यक्ति को उसके पद पर स्थायी कर सकती है या यदि उसक कार्य अथवा आचरण सरकार की राय में असंतोषजनक रहा हो तो उसे सेवा से निकाला जा सकता है या सरकार उसकी परिवीक्षा अवधि जितनी और बढ़ाना उचित समझे बढ़ा सकती है।

4. सेवा के ग्रेड-घ में भर्ती किये गए व्यक्तियों को केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा योजना में भाग लेने वाले मंत्रालयों या कार्यालयों में से किसी एक में नियुक्त कर दिया जाएगा। किन्तु उसकी किसी भी समय किसी भी एसे अन्य मंत्रालय या कार्यालय में बदली हो सकती है।

5. सेवा के ग्रेड-घ में भर्ती किये गए व्यक्ति इस सम्बन्ध में समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार अगले उच्चतर ग्रेड मे पदोन्नत किए जाने के पात्र होंगे ।

सं० 4/33/83-सी० एस० (I)—निम्नलिखित सेवाओं के ग्रेड-I को चयन सूचियों में सम्मिलित करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1984 में ली जाने वाली अनुसूचित जाति/

अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सम्मिलित ग्रेड-I (अवर सचिव) सीमित विभागीय परीक्षा के नियम संबंधित मंत्रालयों की सहमति से सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं ।

वर्ग-I

केन्द्रीय सचिवालय सेवा का ग्रेड-I

वर्ग-II

भारतीय विदेश सेवा, शाखा "ख" के सामान्य संवर्ग का ग्रेड-I

वर्ग-III

रेल बोर्ड सचिवालय सेवा का ग्रेड-I

1. प्रत्येक ग्रेड की चयन सूची में सम्मिलित करने के लिए चयन किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी किये गए नोटिस में निर्दिष्ट की जायेगी ।

2. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यह परीक्षा परिशिष्ट में निर्धारित नियमों के अनुसार ली जायेगी ।

परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग द्वारा निश्चित किए जायेंगे ।

3. (क) स्थायी अधिकारी या अन्य ऐसे अधिकारी जिसका नाम नीचे कालम I में उल्लिखित ग्रेडों और सेवाओं की चयन सूची में सम्मिलित कर लिया गया है, जो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जाति का है, तथा जिसने 31 दिसम्बर, 1983 को कालम 2 में उल्लिखित सेवा से सम्बन्धित शर्तें पूरी कर ली हैं, कालम 3 में उल्लिखित सेवा के वर्ग हेतु परीक्षा में बैठने का पात्र होगा।

कालम 1	कालम 2	कालम 3
केन्द्रीय सचिवालय सेवा का अनुभाग अधिकारी ग्रेड और/या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड "क"	केन्द्रीय सचिवालय सेवा वर्ग I के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में अथवा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड "क" में अथवा दोनों में, जैसी भी स्थिति हो, अनुमोदित तथा लगातार सेवा 4 वर्ष से कम न हो ।	
सामान्य संवर्ग का समेकित ग्रेड II और III और/या भारतीय विदेश सेवा "ख" के आशुलिपिक उप संवर्ग का चयन ग्रेड ।	सामान्य संवर्ग के समेकित ग्रेड II और III या भारतीय विदेश सेवा "ख" के आशुलिपिक उपसंवर्ग के चयन ग्रेड अथवा दोनों में, जैसी भी स्थिति हो, अनुमोदित तथा लगातार सेवा 4 वर्ष से कम न हो ।	वर्ग II
रेल बोर्ड सचिवालय सेवा का अनुभाग अधिकारी ग्रेड और/या रेल बोर्ड आशुलिपिक सेवा का ग्रेड "क"	रेल बोर्ड सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में अथवा रेल बोर्ड आशुलिपिक सेवा के ग्रेड "क" अथवा दोनों, में, जैसी भी स्थिति हो, अनुमोदित तथा लगातार सेवा 4 वर्ष से कम न हो ।	वर्ग III

टिप्पणी : (1) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/रेल बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड "क" तथा भारतीय विदेश सेवा, शाखा (ख) के आशुलिपिक उपसंवर्ग के चयन ग्रेड के अधिकारियों के मामले में अनुमोदित सेवा में उक्त सेवा के ग्रेड "ख"/ग्रेड I में की गयी अनुमोदित सेवा की आधी अवधि शामिल होगी ।

(2) सैनिक ड्यूटी में रहने पर अनुपस्थिति की किसी भी अवधि को उपर्युक्त पदों में से किसी भी पद के लिए निर्धारित सेवा काल में गिनने की अनुमति दी जाएगी ।

(3) (i) केन्द्रीय सचिवालय सेवा/रेल बोर्ड सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी तथा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/रेल बोर्ड सचिवालय सेवा के ग्रेड "क" तथा

(ii) सामान्य संवर्ग के समेकित ग्रेड II और III तथा भारतीय विदेश सेवा शाखा (ख) के आशुलिपिक उप संवर्ग के चयन ग्रेड के अधिकारियों को, जो सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से संवर्ग बाह्य पद पर हैं, यदि अन्यथा पात्र हों, तो परीक्षा में प्रवेश की अनुमति होगी ।

किन्तु यह किसी ऐसे अधिकारी पर लागू नहीं होगा जो किसी संवर्ग बाह्य पद पर नियुक्त हुआ हो अथवा स्थानान्तरण पर किसी अन्य सेवा में नियुक्ति किया गया हो और उसमें (i) और (ii) में उल्लिखित अपने-अपने ग्रेड में पुनर्ग्रहणाधिकार न हो ।

4. परीक्षा में प्रवेश के लिए अथवा अन्यथा किसी बात के लिए उम्मीदवार की पात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा ।

5 किसी भी उम्मीदवार को तब तक परीक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि उसके पास आयोग से प्राप्त प्रवेश प्रमाण-पत्र न हो ।

6. आयोग द्वारा निम्नलिखित कारणों से घोषित, दोषी उम्मीदवार को जिसने:—

(1) किसी भी तरीके से अपनी अभ्यर्थिता के लिए समर्थन प्राप्त करने, अथवा

(2) प्रतिरूपण करने, अथवा

(3) किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण करवाने, अथवा

(4) जाली अथवा ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करना जिनमें हेर-फेर किया हो, अथवा

(5) गलत अथवा असत्य विवरण देने अथवा तथ्य को छिपाने, अथवा

(6) परीक्षा के लिए अपनी अभ्यर्थिता के सम्बन्ध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुपयुक्त तरीकों से काम लेने, अथवा

(7) परीक्षा के दौरान अनुचित तरीके अपनाने, अथवा

(8) उत्तर पुस्तिकों (पुस्तिकाओं) में अप्रासंगिक विषय लिखने, जिसमें अश्लील भाषा अथवा अश्लील सामग्री शामिल है, अथवा

(9) परीक्षा भवन में किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करने, अथवा

(10) परीक्षाओं को आयोजित करने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान करने अथवा उन्हें शारीरिक नुकसान पहुंचाने, अथवा

(11) उम्मीदवारों को परीक्षा देने की अनुमति देते हुए प्रेषित प्रवेश प्रमाण-पत्र के साथ जारी किसी अनुदेश का उल्लंघन किया हो, या

(12) पूर्वोक्त खण्डों में बताया गया कोई काम करने का प्रयत्न अगर कोई करता हो या इन कामों को करने के लिए किसी को उकसाता हो तो उसके खिलाफ आपराधिक अभियोग तो चलाया ही जा सकता है, इसके अतिरिक्त उसे

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसके लिए वह उम्मीदवार है, अथवा

(ख) (i) आयोग द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा अथवा चयन से,

(ii) केन्द्र सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी नियोजन से, स्थायी रूप से अथवा किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए बहिष्कृत किया जा सकता है, और

(ग) समुचित नियमों के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है । किन्तु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक,

(i) उम्मीदवार को इस सम्बन्ध में लिखित अभ्यावेदन, जो वह देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो, और

(ii) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार न लिया गया हो ।

7. आयोग जिन उम्मीदवारों को परीक्षा के परिणाम के आधार पर चयन के लिये उपयुक्त समझेगा उनके नामों की, जिसमें दोनों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवार सम्मिलित होंगे, योग्यता क्रम में एक ही सूची बनाएगा और इस क्रम से जितने भी उम्मीदवार आयोग द्वारा योग्य पाए जाएंगे उनकी चयन सूची में सम्मिलित करने के लिए अपेक्षित संख्या तक अनुशंसा की जाएगी ।

टिप्पणी—उम्मीदवारों को यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि यह प्रतियोगिता परीक्षा है न कि अर्हक परीक्षा । परीक्षा के परिणाम के आधार पर प्रत्येक चयन सूची में शामिल किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या नियत करने के लिए सरकार पूरी तरह से सक्षम है । कोई भी उम्मीदवार इस परीक्षा में अपने निष्पादन के आधार पर चयन सूची में शामिल किये जाने के लिए अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकेगा ।

8. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षा फल की सूचना किस रूप में और किस प्रकार दी जाए, इसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा । आयोग परीक्षा फल के बारे में किसी भी उम्मीदवार से पत्राचार नहीं करेगा ।

9. परीक्षा में सफल हो जाने मात्र से नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं मिलता, जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार सेवा में कार्य संचालन की दृष्टि से चयन के लिए हर प्रकार से योग्य है ।

परन्तु आयोग द्वारा चयन के लिए अनुशंसित किए गए किसी उम्मीदवार को चयन के लिए अयोग्य मानने के बारे में निर्णय आयोग के साथ परामर्श करके किया जाएगा ।

10. यदि कोई उम्मीदवार जो परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन-पत्र भेजने के बाद अथवा परीक्षा में बैठने के बाद अपनी नियुक्ति से त्यागपत्र दे देता है अथवा और किसी कारणवश सेवा छोड़ देता है अथवा उससे सम्बन्ध विच्छेद कर लेता है अथवा उसकी सेवा उसके विभाग द्वारा समाप्त कर दी जाती है अथवा उसे किसी संवर्ग बाह्य पद पर अथवा अन्य सेवा में स्थानान्तरण पद नियुक्त कर दिया जाता है और उसका उपयुक्त नियम 3 (क) के कालम I में उल्लिखित ग्रेडों और सेवाओं में अपना पुनर्ग्रहणाधिकार नहीं है तो वह इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यह बात उस व्यक्ति के मामले में लागू नहीं होती जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त हो ।

डी० के० जौहरी, अवर सचिव

परिशिष्ट

परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार आयोजित की जाएगी —

भाग I—निम्नलिखित विषयों पर दो प्रश्न पत्रों की लिखित परीक्षा होगी जिनमें से हर एक के 200 अंक रखे गए हैं ।

प्रश्न पत्र I—(i) भारत सरकार सचिवालय और सलग्न कार्यालयों की प्रक्रिया और पद्धति
(वर्ग I और II के लिए)

(ii) कार्यालय प्रक्रिया और पद्धति
(वर्ग III के लिए)

प्रश्न-पत्र II—भारतीय संविधान तथा शासन तंत्र का सामान्य ज्ञान संसदीय पद्धति और प्रक्रिया ।

प्रत्येक प्रश्न पत्र 2½ घंटे का होगा ।

भाग II—आयोग की विवेक्षा पर ऐसे उम्मीदवारों के गोपनीय अभिलेखों का मूल्यांकन तथा साक्षात्कार —200 अंक

2 परीक्षा की पाठ्यचर्या अनुसूची के अनुसार होगी ।

3 उम्मीदवारों को प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी तथा हिन्दी (देवनागरी) में देने का विकल्प होगा । प्रश्न-पत्र अंग्रेजी और हिंदी में तैयार किए जाएंगे ।

टिप्पणी 1—सभी प्रश्नों के लिए एक सा विकल्प होगा तथा उसी प्रश्न पत्र में विभिन्न प्रश्नों के लिए अलग-अलग विकल्प नहीं होगा ।

टिप्पणी 2—उक्त प्रश्न-पत्रों का उत्तर हिन्दी (देवनागरी) में देने का विकल्प देने वाले उम्मीदवारों को अपने इस इरादे का उल्लेख आवेदन पत्र के सम्बद्ध कालम में स्पष्ट रूप से करना चाहिए, नहीं तो यह समझा जाएगा कि वे सभी प्रश्न पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में ही देंगे । एक बार दिया गया विकल्प अंतिम मान लिया जाएगा तथा उक्त कालम में परिवर्तन करने का कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

टिप्पणी 3—प्रश्न पत्र के उत्तर हिन्दी (देवनागरी) में लिखने वाले उम्मीदवार, यदि वे चाहें तो, हिन्दी की पारिभाषिक शब्दावली, यदि कोई हो, के साथ अंग्रेजी पर्याय भी कोष्ठक में दे सकते हैं ।

4 उम्मीदवारों को प्रश्न-पत्रों के उत्तर स्वयं ही लिखने होंगे । किसी भी परिस्थिति में उत्तर लिखने के लिए उन्हें किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं होगी ।

5 आयोग अपनी विवेक्षा पर परीक्षा के किसी एक या सभी भागों के अर्हक अंक निर्धारित करेगा । केवल उन्हीं उम्मीदवारों के गोपनीय रिपोर्टों के मूल्यांकन तथा साक्षात्कार में बुलाए जाने पर विचार किया जाएगा जो लिखित परीक्षा में आयोग की विवेक्षानुसार नियत किए गए न्यूनतम अर्हक प्राप्त कर लेंगे ।

6 मात्र सत्यनिष्ठा के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे ।

7 लिखित विषयों में अस्पष्ट लिखाई के लिए अधिकतम अंकों के 5 प्रतिशत अंक तक काट लिए जाएंगे ।

8 परीक्षा के सभी विषयों में इस बात को श्रेय दिया जाएगा कि अभिव्यक्ति कम से कम शब्दों में क्रमबद्ध तथा प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक-ठीक की गई हो ।

9 उम्मीदवारों को प्रश्न पत्रों के उत्तर लिखते समय भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप (अर्थात् 1, 2 3, 4, 5, 6 आदि) का ही प्रयोग करना चाहिए ।

अनुसूची

परीक्षा की पाठ्यचर्या

जहां नियमों, आदेशों, अनुदेशों आदि का ज्ञान अपेक्षित है, उम्मीदवारों से यह आशा की जाएगी कि वे इस परीक्षा की अधिसूचना की तारीख तक जारी किए गए संशोधनों की जानकारी रखें ।

भारत सरकार के सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालयों की प्रक्रिया और पद्धति (वर्ग I तथा II के लिए) ।

इसका उद्देश्य भारत सरकार के सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालयों की प्रक्रिया और पद्धति में गहन तथा विस्तृत परीक्षा है । इस विषय पर कुछ मार्गदर्शन निम्नलिखित पुस्तकों से प्राप्त किया जा सकता है —

(i) इस अधिसूचना के समय प्रचलित कार्यालय प्रक्रिया पुस्तिका

(ii) कार्यालय प्रक्रिया पर सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान द्वारा जारी की गई टिप्पणियां ।

(iii) संघ के सरकारी काम-काज में हिन्दी के प्रयोग से सम्बन्धित गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई आदेशों की पुस्तिका ।

कार्यालय प्रक्रिया और पद्धति (वर्ग III के लिए)

इसके उद्देश्य रेल मंत्रालय (रेल बोर्ड) तथा सबद्ध कार्यालयों में कार्यविधि तथा कार्य प्रणाली में गहन तथा विस्तृत परीक्षा है, इस विषय पर कुछ मार्गदर्शन निम्नलिखित पुस्तकों से प्राप्त किया जा सकता है —

(i) इस अधिसूचना के समय रेल मंत्रालय (रेल बोर्ड) द्वारा जारी की गई प्रचलित कार्यालय प्रक्रिया पुस्तिका ।

(ii) गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई "संघ के सरकारी काम-काज में हिन्दी के प्रयोग से सम्बन्धित आदेशों की पुस्तिका" ।

भारत के संविधान और शासन तंत्र, संसद प्रक्रिया और पद्धति का सामान्य ज्ञान

टिप्पणी :—निम्नलिखित विषयों के ज्ञान की अपेक्षा की जाती है । (1) भारत के संविधान के मुख्य सिद्धांत (2) लोक सभा तथा राज्य सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली (3) भारत सरकार के शासन तंत्र का संगठन—मंत्रालयों, विभागों तथा संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के पदनाम तथा उनमें विषयों का आबंटन और उनके परस्पर संबंध ।

ऊर्जा मंत्रालय
(पेट्रोलियम विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक नवम्बर, 1983

आदेश

विषय : बी-33 संरचना (अपतट) क्षेत्र के 25.35 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिये तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की स्वीकृति।

सं० 12012/24/83-प्रोडक्शन—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 5 के उप नियम (1) की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, तेल भवन, देहरादून (जिसको इसके बाद आयोग कहा जायेगा) को बी० 33 संरचना (अपतट) क्षेत्र के 25.35 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र में पेट्रोलियम मिलने की संभावना हेतु एक पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस 21-1-1983 से 4 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृति देती है। इसके विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची "क" में दिये गये हैं :

लाइसेंस की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर है :—

(क) अन्वेषण लाइसेंस पेट्रोलियम के संबंध में होगा।

(ख) यदि अन्वेषण कार्य के दौरान कोई खनिज पदार्थ पाये गये तो आयोग पूर्ण ब्यौरे के साथ उसकी सूचना केन्द्रीय सरकार को देगा।

(ग) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) निम्नलिखित दरों पर ली जायेगी :

(1) समस्त अशोधित तेल तथा कंडेंसेट हैड कन्डेन्सेट पर 61/- रुपये प्रति मी० टन या ऐसी दर जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी।

(2) प्राकृतिक गैस के सम्बन्ध में ये दर केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर के अनुसार होगी।

(3) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) की अदायगी, पेट्रोलियम विभाग, नई दिल्ली के वेतन तथा लेखा अधिकारी को दी जायेगी।

(घ) आयोग लाइसेंस के अनुसरण में प्रत्येक माह के प्रथम 30 दिनों में गत माह से प्राप्त समस्त अशोधित तेल की मात्रा, कंडेंसेट हैड कन्डेन्सेट और प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा उसका कुल उचित मूल्य दर्शाने वाला एक पूर्व तथा उचित विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजेगा। यह विवरण संलग्न अनुसूची "ख" में दिये गये प्रपत्र में भरकर देना होगा।

(ङ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 11 की आवश्यकता के अनुसार आयोग 6000/- रुपये की धन राशि प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा।

(च) आयोग प्रति वर्ष लाइसेंस के सम्बन्ध में एक शुल्क के सम्बन्ध में एक अग्रिम शुल्क का भुगतान करेगा जिसकी संगणना प्रत्येक वर्ग किलोमीटर या उसके किसी अंश जिसका लाइसेंस में उल्लेख किया गया हो, निम्नलिखित दरों पर की जायेगी।—

1. लाइसेंस के प्रथम वर्ष के लए	4 रु०
2. लाइसेंस के द्वितीय वर्ष के लिए	20 रु०
3. लाइसेंस के तृतीय वर्ष के लिए	100 रु०
4. लाइसेंस के चतुर्थ वर्ष के लिए	200 रु०
5. लाइसेंस के नवीनीकरण के प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिए	300 रुपये।

(छ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम, 11 के उप नियम (3) की आवश्यकतानुसार आयोग को अन्वेषण लाइसेंस के किसी क्षेत्र के किसी भाग को छोड़ देने की स्वतन्त्रता सरकार को दो माह के नोटिस के बाद होगी।

(ज) आयोग केन्द्रीय सरकार की मांग पर उसको तत्काल तेल तथा प्राकृतिक गैस अन्वेषण के अन्तर्गत पाये गये समस्त खनिज पदार्थों के सम्बन्ध में भूवैज्ञानिक आंकड़ों के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट गुप्त रूप से देगा तथा हर छः महीने में निश्चित रूप से केन्द्रीय सरकार को समस्त परिचालनों व्यधन तथा अन्वेषण कार्यों के परिणामों के बारे में सूचना देगा।

(झ) आयोग समुद्र की तलहटी और/या उसके धरातल पर आग लगने सम्बन्धी निवारक उपायों की व्यवस्था करेगा तथा आग बुझाने हेतु हर समय के लिये ऐसे उपकरण, सामान तथा साधन बनाये रखेगा और तीसरी पार्टी और/या सरकार को उतना मुआवजा देगा जितना कि आग लगने से हुई हानि के बारे में निर्धारित किया जायेगा।

(ञ) इस अन्वेषण लाइसेंस पर तेल क्षेत्र (नियन्त्रण और विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) और और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के उपबन्ध, लागू होंगे।

(ट) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के बारे में आयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित एक जैसा दस्तावेज भर कर देगा जो अपतटीय क्षेत्रों के लिये व्यवहार्य होगा।

अनुसूची "क"

बी-33 संरचना के 25.35 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस का विवरण

1. संरचना	बी-33
2. पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस क्षेत्र	25.35 वर्ग किलो मीटर

3. भौगोलिक निर्देशांक

	रेखांश	अक्षांश
बिन्दु-ए	71° 54′ 10.2″ई	18° 40′ 40.8″ एन
बिन्दु-बी	71° 56′ 08.4″ई	18° 40′ 40.8″ एन
बिन्दु-सी	71° 56′ 08.4″ई	18° 36′ 40.2″ एन
बिन्दु-डी	71° 54′ 10.2″ई	18° 36′ 40.2″ एन

4. भूमि पर प्रमुख स्थानों से अनुमानित दूरी :

बम्बई	100 किलोमीटर
दहानू	165 किलो मीटर
5. जल की अनुमानित गहराई	50 मीटर
6. खुदाई की तिथि	21.1.1983

अनुसूची ख

अशोधित तेल, कंडेंसिंग कन्डेन्सेट तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन तथा उसके मूल्य सहित मासिक विवरण

बी-33 संरचना (अपतट) क्षेत्र के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस ।

क्षेत्रफल 25.35 वर्ग किलो मीटर

माह तथा वर्ष

क—अशोधित तेल

कुल प्राप्त किलो लीटरों की सं०	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये किलो लीटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये लीटरों की सं०	कालम 2 और 3 को घटा कर प्राप्त किलो लीटरों की सं०	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ख—कंडेंसिंग हैड कन्डेन्सेट

प्राप्त किये गये कुल किलो लीटरों की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये किलो लीटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये किलो लीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त किलो लीटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ग—प्राकृतिक गैस

कुल प्राप्त घन मीटरों की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये गये घन मीटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये घन मीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त घन मीटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

एतद्द्वारा मैं श्री———— सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूं कि इस विवरण में दी गई सूचना पूर्ण रूपेण सत्य और सही है, उसे सही समझते हुए मैं शुद्ध अन्तःकरण से सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं ।

हस्ताक्षर————

नई दिल्ली, दिनांक 5 नवम्बर 1983

आदेश

विषय :—आर०-13 संरचना (अपतट) क्षेत्र के 49 5 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की स्वीकृति ।

सं० ओ-12012/23/83-प्रोडक्शन— पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 1959 के नियम 5 के उपनियम (1) की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तेल भवन देहरादून, (जिसको इसके बाद आयोग कहा जायेगा) को० आर०-13 संरचना अपतट क्षेत्र के 49.5 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र में पेट्रोलियम मिलने की संभावना हेतु एक पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस 4-1-1983 से 4 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृति देती है ।

इसके विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची "क" में दिये गये हैं :—

लाइसेंस की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर है:—

(क) अन्वेषण लाइसेंस पेट्रोलियम के संबंध में होगा ।

(ख) यदि अन्वेषण कार्य के दौरान कोई खनिज पदार्थ पाये गये तो आयोग पूर्ण ब्यौरे के साथ उसकी सूचना केन्द्रीय सरकार को देगा ।

(ग) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) निम्नलिखित दरों पर ली जायेगी ।

(1) समस्त अशोधित तेल तथा केसिंग हैड कंडेन्सेट पर 61/- रुपये प्रति मी० टन या ऐसी दर जो समय समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी ।

(2) प्राकृतिक गैस के सम्बन्ध में ये दर केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर के अनुसार होगी ।

(3) स्वत्व शुल्ट (रायल्टी) की अदायगी पेट्रोलियम विभाग, नई दिल्ली के वेतन तथा लेखा अधिकारी को दी जायेगी ।

(घ) आयोग लाइसेंस के अनुसरण में प्रत्येक माह के प्रथम 30 दिनों में गत माह से प्राप्त समस्त अशोधित तेल की मात्रा केसिंग हैड कंडेन्सेट और प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा उसका कुल उचित मूल्य दर्शाने वाला एक पूर्व तथा उचित विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजेगा । यह विवरण संलग्न अनसूची 'ख' में दिये गये प्रपत्र में भरकर देना होगा ।

(ङ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस निगम 1959 के नियम II की आवश्यकता के अनुसार आयोग 6000/- रुपये की धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा ।

(च) आयोग प्रति वर्ष लाइसेंस के सम्बन्ध में एक शुल्क के संबंध में एक अग्रिम शुल्क का भुगतान करेगा जिसकी संगणना प्रत्यक वर्ग किलोमीटर या उसके किसी अंश जिसका लाईसेंस में उल्लेख किया गया हो निम्नलिखित दरों पर की जायेगी ।

1. लाइसेंस के प्रथम वर्ष के लिये	4 रु०
2. लाइसेंस के द्वितीय वर्ष के लिए	20 रु०
3. लाइसेंस के तृतीय वर्ष के लिए	100 रु०
5 लाइसेंस के चतुर्थ वर्ष के लिए	200 रु०
5. लाइसेंस के नवीनीकरण के प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिए	300 रु०

(छ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम ii के उपनियम (3) की आवश्यकतानुसार आयोग को अन्वेषण लाइसेंस के किसी क्षेत्र के किसी भाग को छोड़ देने की स्वतंत्रता सरकार को दो माह के नोटिस के बाद होगी ।

(ज) आयोग केन्द्रीय सरकार की मांग पर उसको तत्काल तेल तथा प्राकृतिक गैस अन्वेषण के अन्तर्गत पाये गये समस्त खनिज पदार्थों के संबंध में भूवैज्ञानिक आंकड़ों के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट गुप्त रूप से देगा तथा हर छः महीने में निश्चित रूप से केन्द्रीय सरकार को समस्त परिचालनों व्यधन तथा अन्वेषण कार्यों के परिणामों के बारे में सूचना देगा ।

(झ) आयोग समुद्र की तलहटी और/या उसके धरातल पर आग लगने संबंधी निवारक उपायों की व्यवस्था करेगा तथा आग बुझाने हेतु हर समय के लिए ऐसे उपकरण, सामान तथा साधन बनाये रखेगा और तीसरी पार्टी और/या सरकार को उतना मुआवजा देगा जितना कि आग लगने से हुई हानि के बारे में निर्धारित किया जाएगा ।

(ञ) इस अन्वेषण लाइसेंस पर तेल क्षेत्र (नियंत्रण और विकास) अधिनियम 1948 (1948 का 53) और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के उपबन्ध लागू होंगे ।

(ट) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के बारे में आयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित एक जैसा दस्तावेज भरकर देगा जो अपतटीय क्षेत्रों के लिए व्यवहार्य होगा ।

अनुसूची "क"

आर०-13 संरचना के संबंध में तकनीकी आंकड़े, जहांकि 49.5 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की आवश्यकता है ।

1. भौगोलिक निर्देशांक

	रेखांश			अक्षांश		
बिन्दु ए०	72°	14′	2.5″	18°	17′	58.8″
बिन्दु बी०	72°	17′	9.79″	18°	17′	58.8″
बिन्दु सी०	72°	17′	9.79″	18°	13′	7.88″
बिन्दु डी०	72°	14′	2.55″	18°	13′	7.88″

2. भूमि पर प्रमुख स्थानों से अनुमानित दूरी
   बम्बई—100 किलोमीटर
   रत्नागिरी—180 किलोमीटर
   अलीगढ़—120 किलोमीटर
3. उपरिवर्ती जल की अनुमानित गहराई—34 मीटर
4. खुदाई की तिथि—14-1-1983 (आर०-13-1)

अनुसूची ख

अशोधित तेल, केसिंग कन्डेन्सेट तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन तथा उसके मूल्य सहित मासिक विवरण।

आर०—13 संरचना अपतट क्षेत्र के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस।

क्षेत्रफल 49.5 वर्ग किलो मीटर।

माह तथा वर्ष

क—अशोधित तेल

कुल प्राप्त किलो लीटरों की सं०	अपरिहार्य रूप से खोयें अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये किलो लीटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये लीटरों की सं०	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त किलो लीटरों की सं०	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ख—केसिंग हैड कन्डेन्सेट

प्राप्त किये गये कुल किलो लीटरों की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाए किलो लीटरों की सं०	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये किला लीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त किलो लीटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ग—प्राकृतिक गैस

कुल प्राप्त घन मीटरों की सं०	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये गए घन मीटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये घन मीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त घन मीटरों की सं०	टिप्पणी

एतद्द्वारा मैं, श्री ——————————सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूँ कि इस विवरण में दी गई सूचना पूर्ण रूपेण सत्य और सही है, उसे सही समझते हुए मैं शुद्ध अन्त:करण से सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ

हस्ताक्षर——————

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से तथा उनके नाम पर।

राजेन्द्र सिंह, निदेशक

पर्यावरण विभाग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 7 नवम्बर 1983

संकल्प

सं० जे०-20011/8/83-ई० एन०-I—भारत सरकार ने "समुद्र प्रदूषण के नियंत्रण" विशेष रूप से तेल विसर्जित करने" पर निम्नलिखित संरचना और विचारार्थ विषय द्वारा एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है। यह समिति समुद्रों के प्रदूषण से संबंधित सभी विषयों पर शीर्ष निकाय होगी।

2. संरचना—समिति की संरचना इस प्रकार होगी:

1. सचिव, पर्यावरण विभाग	अध्यक्ष
2. सचिव, सामुदिक विकास विभाग	सदस्य
3. सचिव, पेट्रोलियम विभाग	सदस्य
4. सचिव, कृषि मंत्रालय	सदस्य
5. सचिव, निर्माण और आवास मंत्रालय	सदस्य
6. सचिव, औद्योगिक विकास विभाग	सदस्य
7. सचिव, रसायन और उर्वरक विभाग	सदस्य
8. सचिव, जहाजरानी परिवहन मंत्रालय	सदस्य
9. महानिदेशक, जहाजरानी	सदस्य
10. महानिदेशक, तटरक्षक	सदस्य
11. भारत के 3 मुख्य तटवर्ती राज्यों महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि।	सदस्य
12. निदेशक, पर्यावरण विभाग।	सदस्य-सचिव

3. विचारार्थ विषय: समिति के विचारार्थ विषय ये होंगे:

3.1 समुद्रों के प्रदूषण से संबंधित सभी मुद्दों को निपटाने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करना तथा भारत के आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत समुद्री प्रदूषण के नियंत्रण के लिये अनिवार्य प्रभावी कदम उठाने के बारे में सरकार को समय-समय पर राय देना।

3.2 विद्यमान कानूनों तथा विनियमनों की पुनरीक्षा करना ताकि जहां तक पत्तन क्षेत्र, तटीय जल तथा उच्च सागरों में समुद्री प्रदूषण का सबंध है, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए कानूनी ढांचे के रूप में व्यापक तथा पूर्ण बनाया जा सके तथा विद्यमान कानूनों तथा विनियमनों या जहां अपेक्षित हो, नए कानून में संशोधन की सिफारिश करना।

3.3 तटवर्तीय क्षेत्र अधिनियम तथा अन्य कानूनों के अन्तर्गत "निर्दिष्ट क्षेत्रों" को अधिसूचित करने के लिए कार्यवाही आरम्भ करना।

3.4 समुद्री प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण के लिये प्रशासनिक तथा तकनीकी स्तरों की पुनरीक्षा करना और अतिरिक्त अनिवार्य यंत्र-संरचना तथा उपाय तैयार करना।

3.5 समुद्री प्रदूषण के नियंत्रण तथा तेल के अधिप्लाव आपतिक स्थिति आयल स्पिल (एमर्जेंसी) के लिए तेजी से सुविधायें तथा प्रक्रियायें जुटाना।

3.6 सभी पत्तनों में सुविधायें तथा उपकरण जुटाने के लिये एक समय-बद्ध कार्यक्रम तैयार करना।

1 तेल के अधिप्लाव (आयल स्पिल्स) रोकने के लिये पत्तन।

2. समुद्रीय प्रदूषण के प्रबोधन तथा उच्च समुद्रों में आयल ट्रैफिक पालिशिंग।

3 एक निरीक्षणालय की स्थापना करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भूमि आधारित प्रदूषण स्रोतों को पर्याप्त रूप से नियंत्रित किया गया है।

3.7 एक राष्ट्रीय तेल अधिप्लाव सम्बंधी आपत्ति को रोकने की (आयल तेल स्पिल) योजना तैयार करना।

4. इस समिति की अवधि इस संकल्प की तारीख से लेकर 3 वर्षों की अवधि के लिए होगी।

5. समिति समय-समय पर कार्यवाही के लिये रिपोर्ट तथा सिफारिशें प्रस्तुत कर सकती है।

6. साधारणतः समिति की बैठक दिल्ली में होगी परन्तु आवश्यकता अनुसार भारत में कहीं भी हो सकती है।

7. बैठक में भाग लेने के लिये सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता उनके मूल संगठनों के नियमों के अनुसार दिया जाएगा।

8. समिति के कार्य से संबंधित सभी अन्य आकस्मिक खर्चे पर्यावरण विभाग द्वारा वहन किये जायेंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रतिलिपि इन्हें भेजी जाए :—

1. सभी सदस्य
2. मंत्रिमंडल सचिव, 3 प्रतिलिपियां।
3. प्रशासन/वित्त प्रभाग/पर्यावरण विभाग/वित्त परामर्श-दाता/सचिव/संयुक्त सचिव।
4. पर्यावरण उप-मंत्री
5. प्रधान मंत्री सचिवालय।

यह आदेश भी दिया जाता है कि सामान्य जानकारी के लिये यह भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

त्रिलोकी नाथ खुशू, सचिव

शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 अक्तूबर 1983

संकल्प

विषय : बीस सूत्री कार्यक्रम के 16वें सूत्र पर राष्ट्रीय समिति।

सं० एफ० 1–24/83–स्कूल–II—सरकार ने दिनांक 20 मई, 1983 के संकल्प संख्या एफ० 1-24/83–स्कूल–II द्वारा बीस सूत्री कार्यक्रम के 16वें सूत्र पर एक राष्ट्रीय समिति गठित की थी। अब उपरोक्त संकल्प के पैरा 3 में दी गई सदस्यता में निम्नलिखित को जोड़ने का निर्णय किया गया है।

18. वि० अ० आ० का प्रतिनिधि—सदस्य

पैराग्राफ 3 के अन्तर्गत विद्यमान प्रविष्टि संख्या 18 के स्थान पर संख्या 19 लिखा जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रधानमंत्री के कार्यालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन संस्थान, और प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

पी० के० पटनायक, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 26 अक्तूबर 1983

सं० एफ० 10–1/83–यू० 5—भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली के संस्था ज्ञापन और नियमावली के नियम 3, 6 और 7 के अन्तर्गत श्री टी० न० चतुर्वेदी, सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को परिषद् के सदस्य के रूप में 27–7–83 से और तीन वर्ष की अवधि के लिए मनोनीत किया जाता है।

एस० के० सेनगुप्त, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 3 दिसम्बर 1983

सार्वजनिक सूचना

सं० प्रति अदायगी/सा०सू०–29/83—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रति अदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना स० 52/फा०सं० 602/2/70–प्र०अ०(के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रति अदायगी/सा०सू० 17/83, दिनांक 1 जून, 1983 में प्रकाशित सारणी में एतद्-द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उपक्रमांक 2728 के सामने के स्तंभ "माल का विवरण" तथा "प्रति अदायगी की दर" में की वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

उपक्रमांक	माल का विवरण	प्रतिअदायगी की दर	विनिधान	
			सी० शु०	के० उ० शु०
2728	मुख्यत मानव-निर्मित सेल्यूलोजिक स्पन यार्न से बने फैब्रिक (निटिड/होजरी फैब्रिक से भिन्न) से निर्मित सिली सिलाई पोशाकें।	पोत पर्यन्त नि शुल्क मूल्य का 11 प्रतिशत (केवल ग्यारह प्रतिशत) जमा ऐसी सामग्रियों, जिनसे हैंगर, यदि कोई इस्तेमाल किए गए हो, बनाए गए हों, की बाबत प्रति अदायगी। अथवा आयातित हैंगरों के मामले में, ऐसे हैंगरों पर वस्तुत अदा की गई शुल्क-राशि के बराबर प्रतिअदायगी का भुगतान किया जाएगा, जैसा कि अनुसूची की सामान्य टिप्पणी 8 (II) में निर्धारित है।	1%	10%

यह सार्वजनिक सूचना 1 दिसम्बर, 1983 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

सं० प्रतिअदायगी/सा०सू० 30/83—सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, प्रतिअदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनाक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना स० 52/फा०स० 602/2/70–प्र०अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रति-अदायगी/सा०सू० 25/83–दिनाक 1 अक्तूबर, 1983 मे प्रकाशित सारणी म एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

उपक्रमांक 2505 1(क) तथा 2505 1(ख) के सामने के स्तंभ "प्रति अदायगी की दर" में की वर्तमान प्रविष्टियों में "प्रति किलोग्राम" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

यह सार्वजनिक सूचना 1 अक्तूबर, 1983 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

फा० सं० 600/2622/83-प्र०अ०

सं० प्रतिअदायगी/सा०सू० 31/83--सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा०सं० 602/2/70-प्र०अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार समय-समय पर यथासंशोधित सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/सा०सू० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उपक्रमांक 2505 1(क) और 2621 के अन्तर्गत आने वाली मदों और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	निम्नलिखित के लिए	निम्नलिखित पढ़ें
(i)	290 डेनियर से कम	350 डेनियर से कम
(ii)	290 डेनियर और इस से अधिक परन्तु 500 डेनियर से अनधिक	350 डेनियर और इससे अधिक परन्तु 750 डेनियर से अनधिक ।
(iii)	550 डेनियर से अधिक	700 डेनियर से अधिक

यह अधिसूचना 11 जनवरी, 1984 के दिन प्रभावी हुई मानी जाएगी ।

फा० सं० 600/2622/83-प्र० अं०

जेड० बी० नागरकर, उप सचिव

उद्योग मंत्रालय

विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 जून 1983

सं० 1/(1)/83-ल० उ० बोर्ड--लघु उद्योग बोर्ड को पुनर्गठित करने से सम्बन्धित इस कार्यालय के दिनांक 6 मई, 1983 के संकल्प सं० 1/1/83-लघु उद्योग बोर्ड में क्रम सं० 79 पर निम्नलिखित को जोड़ा जाये :—

क्र० सं० 74 श्री धर्मानन्द उपाध्याय
राज्य निदेशक
जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय युवा केन्द्र
109/36, तलब गंगावी शुक्ल
लखनऊ -1 (उ० प्र०)

आदेश

आदेश दिया जाता है संकल्प की एक-एक प्रतिलिपि सभी सम्बंधितों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचना हेतु, संकल्प को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

जय देव वर्मा,
निदेशक (लघु उद्योग बोर्ड)
तथा आर्थिक सलाहकार

नई दिल्ली, दिनांक 28 जुलाई 1983

संकल्प

सं० 1 (1)/83—ल० उ० बोर्ड—लघु उद्योग बोर्ड को पुनर्गठित करने से संबंधित इस कार्यालय के दिनांक 6 मई, 1983 के संकल्प संख्या 1(1)/83- लघु उद्योग बोर्ड में क्रम संख्या 75 से 81 तक, निम्नलिखित को जोड़ा जाए :—

क्रम संख्या 75 श्री विरधा राम फुलवारिया
सदस्य, लोकसभा
170, साउथ एवेन्यू
नई दिल्ली-110011

क्रम संख्या 76 श्री छितु भाई गामित
सदस्य, लोक सभा
145, नार्थ एवेन्यू
नई दिल्ली -110001

क्रम संख्या 77 श्री अजीत कुमार शर्मा
सदस्य, राज्य सभा
53, साउथ एवेन्यू
नई दिल्ली -110011

क्रम संख्या 78 श्रीमती मैमूना सुलतान
सदस्य, राज्य सभा
11, त्यागराजा मार्ग
नई दिल्ली

क्रम संख्या 79 श्री अक्षय कुमार दुबे
उपाध्यक्ष
मध्य प्रदेश लिफ्ट सिंचाई निगम
प्रगतिशील कर्मचारी यूनियन (आई० एन० टी० यू० सी०)
पोस्ट बं० 65857
68/25-एफ, साउथ डी० टी० नगर
भोपाल

क्रम संख्या 80 श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह
ई-1/80, आरेसा कालोनी
भोपाल-462016.

क्रम संख्या 81 श्री एन० डी० रमेश राजू
सैकिण्ड क्रॉस, सुभाष नगर
माण्ड्या (कर्नाटक)

एस० नीलकण्ठन,
निदेशक (ल० उ० बो०)

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रतिलिपि सभी संबंधित को भेजी जाए

यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचना हेतु संकल्प को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

एस० नीलकण्ठन
निदेशक (ल० उ० बो०)
कृते विकास आयुक्त (लघु उद्योग)
एवं सदस्य सचिव (लघु उद्योग बोर्ड)

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 18th November 1983

No. 84-Pres/83.—The President is pleased to direct that the following addition shall be made in the ordinances relating to the Wound Medal in the President's Secretariat Notification No. 5-Pres/73, dated the 17th January, 1973, published in Part I, Section 1 of the Gazette of India dated 27th, January, 1973 namely,

2. After clause fourthly in the said Notification, a new clause fifthly shall be added as follows :—

"If any recipient of the Wound Medal has again sustained/sustains a wound as a result of direct enemy action in any type of operations or counter-insurgency operattions on or after 15th August, 1947 as would have made the recipient eligible to receive the Wound Medal, it shall be recognised by a bar to be attached to the riband by which the Wound Medal is suspended, and for every such additional wound sustained, an additional Bar shall be added."

3. The existing clauses fifthly, sixthly and seventhly should be renumbered as clause sixthly, seventhly and eightly respectively.

S. NILAKANTAN, Dy. Secy.
to the President

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS)

RULES

New Delhi-1, the 3rd December 1983

No. 10/2/83.CS-II.—The rules for a competitive examination to be held by the Staff Selection Commission in 1984, for the purpose of filling temporary vacancies in the Central Secretariat Stenographers' Service-Grade 'D' are published for general information.

2. The examination will be conducted by the Staff Selection Commission in the manner prescribed in Appendix 1 to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

3. The number of vacancies to be filled on the result of the examination will be specified in the Notice issued by the Commission. Reservation will be made for candidates who are ex-servicemen, Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Physically handicapped, in respect of vacancies as may be fixied by the Government.

(i) Ex-serviceman means a person, who has served in any rank (whether as a combatant or as non-combatant), in the Armed Forces of the Union, including the Armed Forces of the Former Indian States, but excluding the Assam Rifles, Defence Security Corps, General Reserve Engineering Force, Lok Sahayak Sena and Territorial Army, for a continuous period of not less than six months after attestation, and

(a) has been released, otherwise than at his own request or by way of dismissal or discharged on account of misconduct or inficiency, or has been transferred to the reserve pending such release, or

(b) has to serve for not more than six months for completing the period of service requisite for becoming entitled to be released or transferred to the reserve as aforesaid, or

(c) has been released at his own request, after completing five years service in the Armed Forces of the Union.

(ii) Physically handicapped person means an orthopedically handicapped person who has a physical defect or deformity which causes an interference with the normal functioning of the bones, muscles and joints.

No scribe will be allowed to the orthopaedically handicapped and other categories of persons appearing in the examination.

(iii) Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) Order 1950; the Constitution (Scheduled Tribes) Order 1950; the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order 1951, the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) order, 1951 ; as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956 ; the Bombay Reorganisation Act, the Punjab Reorganisation Act, 1960 the State of Himachal Pradesh Act, 1970, and the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971, the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968, the Constitution (Goa Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968, the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976, the Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978, and the Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978.

4. (1) A candidate must be either :—

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Nepal, or

(c) a subject of Bhutan, or

(d) a Tibetan refugee who came over to India, before 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India or

(e) a person of Indian origin who has mirgrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka and East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formely Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire, Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories(b), (c), (d) and above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

(2) A candidate in whose cases a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination but the offer of appointment will be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Ministry/Department, which is administratively concerned with the post where the candidate is likely to be appointed.

5.(A) A candidate for this examination must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of 25 years on 1.1.1984 i.e., he must have been born not earlier than 2nd January, 1959 and not latter than 1st January, 1966.

(B) The upper age limit will be relaxable up to the age of 35 years in respect of persons who have been regularly appointed as Stenographers (including language stenographers) /Clerks/Steno-typists/Hindi-Clerks/Hindi-Typists in various Departments/Offices of the Government of India participating in the Central Secretariat Stenographers' Service and have rendered not less than 2 years continuous service as Stenographers (including language Stenographer/Clerks/Steno-typists/Hindi Clerk/Hindi Typist on 1st January, 1984 and continue to be so employed.

(C) The upper age limit will be relaxable in the case of ex-servicemen who have put in not less than six months continuous service in the Armed Forces of the Union, to the extent of their total service in the Armed Forces increased by three years.

Candidates admitted to the examination under this age cencession will be eligible to compete for all the vacancies whether reserved or not for ex-servicemen.

NOTE : The period of "call up service" of an ex-serviceman in the Armed Force shall also be treated as service rendered in the Armed Forces for purpose of Rule 5 (C) above.

(D) The upper age limit in all the above cases will be further relaxable :—

(i) upto a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe ;

(ii) upto a maximum of three years if a candidate is bona fide displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangla Desh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964, and 25th March, 1971 ;

(iii) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also bona-fide displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangla Desh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971) ;

(iv) upto a maximum of three years if a candidate is a bona fide repatriate or a prospective repart repratriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(v) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona-fide repatriate or a prespective repatriate of Indian orgin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964, or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement or October, 1964.

(vi) upto a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania or is a repatriate of Indian origin from Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia ;

(vii) upto a maximum of three years if a candidate is a bona fide repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to Indian on or after 1st June, 1963;

(viii) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963 ;

(ix) upto a maximum of three years in the case of Defence services Personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof;

(x) upto a maximum of eight years in the case of Defence Services Personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof and who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes ;

(xi) upto a maximum of three years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during Indo-Pak hostilities of 1971 and released as a consequence thereof ;

(xii) upto a maximum of eight years in the case of Border Security Force Personnel disabled in operations during Indo-Pak hostiilties of 1971, and released as a consequence thereof and who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes ;

(xiii) upto a maximum of three years if a candidate is a bona fide repatriate of Indian origin (Indian Passport holder) as also a candidate holding emergency certificate issued to him by the Indian Embassy in Vietnam and who arrived in India from Vietnam not earlier than July 1975 ;

(xx) upto a maximum of ten years if the candidate is a physically handicapped person, i.e. Orthopaedically handicapped ; and

(xv) upto the age of 35 years (upto 40 years for members of Scheduled Castes/Scheduled Tribes) in the case of widows, divorced women and women judicially separated from their husbands, who are not re-married.

(E) The upper age limit will also be relaxable in the case of *ad-hoc* stenographers Grade D' presently in position in the Ministries/Department/Officers participating in the Central Secretariat Stenographers' Service who have been appointed through employment exchanges, provided that they were within age limits at the time of their appointment as Grade 'D' Stenographer on *ad-hoc* basis.

SAVE AS PROVED ABOVE, THE AGE LIMITS PRESCRIBED ABOVE SHALL IN NO CASE BE RELAXED.

N.B. (i) The candidature of a person who is admitted to the examination under the age concession mentioned in Rule 5 (B) above, is liable to be cancelled, if after submitting his application, he resign from service or his service are terminated by his department, either before or after taking the examination. He will, however, continue to be eligible if he is retrenched from the service or post after submitting his application.

N.B. (ii) A Stenographer (including language Stenographer/Clerk/Steno-Typists/Hindi Clerks/Hindi Typist) who is on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority, or who is transferred to another post but retains lien on the post from which he is transferred, will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible.

6. Candidates must have passed the Matriculation Examination of any University incorporated by an Act of the Central or State Education Board at the end of the Secondary School, High School or any other certificate which is accepted by the Government of that State/Government of India as equivalent to Matriculation Certificate for entry into service.

NOTE : 1. A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him educationally qualified for the Commission's examination but has not been informed of the results as also a candidate who intends to appear at such a qualifying examination will *NOT* be eligible for admission to the Commission's examination.

NOTE 2. In exceptional cases, the Central Government may treat a candidate, who has not any of the qualifications prescribed in this rule as educationally qualified provided that he possesses qualifications, the standard of which in the opinion of that Government justifies his admission to the examination.

7. No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to service.

Provided that the Central Government may, if satisfied that that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

8. A candidate already in Government service, whether in a permanent or temporary capacity, may apply direct for appearing at the examination but will have to send to the Commission a ('No Objection Certificate" from his office before being allowed to take the Shorthand Test.

9. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient discharge of his duties as an officer of the Service. A candidate who after such medical examination, as may be prescribed by the competent authority, is found not to satisfy these requirements will not be appointed. Only such candidates as are likely to be considered for appointment will be medically examined.

NOTE :—In the case of disabled ex-Defence Service Personnel a certificate of fitness granted by the Demobilisation Medical Board of the Defence Services will be considered adequate for the purpose of appointment.

10. The decision of the Comimsion as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

11. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a cretificate of admission from the Commission.

12. No candidates except ex-servicemen released from the Armed Forces and those who are granted remission of fee *vide* Commission's Notice, must pay the fee prescribed in the Commission's Notice.

13. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidautre by any means may disqualify him for admission.

14. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of :—

(i) Obtaining support for his candidature by any means, or

(ii) Impersonating, or

(iii) procuring impersonation by any person, or

(iv) submitting fabircated documents or documents which have been tempered with, or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connecion with his candidature for the examination, or,

(vii) using unfair means during the examination, or

(viii) writing irrelevant matter, including, obscene language or pornographic matter in the scripts', or

(ix) misbehaving in any other manner in the examination hall, or

(x) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examinations, or

(xi) attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses, may in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable :—

(a) to be disqualiged by the Commission from the examination for which he is a candidate, or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period :—

(i) by the Commission from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government, from any employment under them; and

(c) to disciplinary action under the appropriate rules if he is already in service under Government.

15. After the examination, the candidate shall be arranged by the Commission, in a list, in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified at the examination shall be recommended for appointment to Grade 'D' of the Central Secretariat Stenographers' Service upto the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the examination .

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitnes of these candidates for selection to the service irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

Ex-servicemen who are considered by the Commission to be suitable for appointment on the results of the examination shall be eligible to be appointed against the vacancies reserved for them irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

Provided further that ex-servicemen belonging to any of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard to recommended by the Commission, by a relaxed standard to make up the deficiency in the quota reserved for them out of the quota of vacancies reserved for ex-servicemen, subject to the fitness of these candidates for selection to the service irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

16. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidate shall be decided by the Commission in their descretion and the Commission will no enter into correspondance with them regarding the result.

17. Success in the examination shall confer no right to appointment unless the Government is satisfied, after such inquiry as may be considered necessary, that the candidate, having regard to his character and antecedents is suitable in all respect for appointment to the Service.

18. Brief particulars relating to the Service to which recruitment is being made through this examination are given in Appendix II.

H. G. MANDAL
Under Secretary to the Govt. of India

APPENDIX I

PART A-WRITTEN TEST

The subjects of the examination, the time allowed, the maximum marks for each subject and the syllabus and standard will be as follows :—

Subject	Time allowed	Maximum marks
(i) General English	1½ hours	100
(ii) Essay	1 hours	50
(iii) General Knowledge	1½ hours	100

Note : The papers in General Knowledge and General English will consist of 'Objective-Multiple Choice Type' question.

Standard and Syllabus :

Note : The standard of the question paper will be approximately that of the Matriculation examination of an Indian University.

General English : The papers will be designed to test the candidates knowledge of English stammar and composition and generally their power to understand and ability to write correct English. Account will be taken of arrangement, general expression and workmanlike use of the language. The paper may include quesions on correct use of words; easy idioms and prepositions; direct and indirect speech; etc.

Essay : An essay to be written on one of the several specified subjects.

General Knowledge : Some knowledge of the Constitution of India, Five Year Plans, Indian History and Culture, General and Economic Geography of India, current events, everyday science and such matters of every day observation as may be expected on an educated person. Candidates' answer expected to show their intelligent understanding of the questions and not detailed knowledge of any text book.

1. Candidates are allowed the option on answer the "Essay" paper either in Hindi or in English. Candidates who opt to answer the Essay" paper in Hindi will be required to take the shorthand test also in Hindi and those who opt to answer the "Essay" paper in English will be required to take the shorthand test also in English.

Note : Candidates desirous of exercising the option to answer the "Essay" paper of the written test and take the shorthand test in Hindi (Devnagari) should indicate their intention to do so in the appropriate column of the application form. Otherwise, it will be assumed that they will take the written test and the shorthand test in Engilsh.

The option once exercised shall be treated as final, and no request for alteration in the said column shall ordinarily be entertained.

2. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write answers for them.

3. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all subjects of the examination.

4. Only those candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written test as may be fixed by the Commission in their discretion will be called for shorthand test.

5. Marks will not be alloted for more superficial knowledge.

6. Deduction upto 5 per cent of the maximum marks for the written subjects will be made for illegible handwriting.

7. Credit will be given for ordely, effective and exact expression, combined with due economy of words in all subjects of the examination.

PART B

SHORTHAND TEST IN HINDI OR IN ENGLISH 300 Marks

(FOR THOSE WHO QUALIFY AT THE WRITTEN TEST)

The details about the Shorthand Test will be as follows:—

Scheme of Shorthand Test

The candidate will be given one dictation test in English or in Hindi at 80 words per minute for 10 minutes. The candidates who opt to take the test in English will be required to transcribe the matter in 65 minutes, and the candidates who opt to take the test in Hindi will be required to transcribe the matter in 75 minutes.

1. Candidates wil be required to transcribe their shorthand notes on typwriters and for this purpose they will be required to bring their own typewriters with them.

2. Candidates who opt to take the Shorthand Test in Hindi will be required to learn English Stenography and vice-versa, after their appointment.

APPENDIX II

Brief particulars relating to the Central Secretariat Service :

The Central Secretariat Stenographers' Service has at present four grades as follows :—

(1) Grade A : Rs. 650-30-740--35-810-EB-35-880-40-1000 EB-40-1200.

(2) Grade B : Rs. 650-30-740-35-880-EB-40-1040.

(3) Grade C : 425-15-500-EB-15-560-20-700-EB-25-800.

(4) Grade D : Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560.

2. Persons recruited to Grade 'D' of the Service will be on probation for a period of two years. During this period they may be required to undergo such training and to pass such examinaion as may be perscribed by the Government may think fit.

3. On the conclusion of the period of probation, Government may confirm the person concerned in his appoinment or if his work or conduct in the opinion of the Government has been unsatisfactory he may either be discharged from the Service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

4. Persons, recruited to Grade 'D' of the Service will be posted to one of the Ministries or Offices participaing in the Central Secretariat Stenographers' Service Scheme. They may, however, at any time be transferred to any other such Ministry or Office.

5. Persons recruited to Grade 'B' of the Service will be eligible for promotion to the next higher grade in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

RULES

New Delhi, the 3rd December 1983

No. 4/33/83-CS(I).—The rules for a combined Grade-I (Under Secretary) Limited Departmental Competitive Examination for Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates to be held by the Union Public Service Commission in 1984 for additions in the Select Lists for Grade-I of the Services mentioned below are, with the concurrence, of the Ministries concerned published for general information.

CATEGORY-I

Grade-I of the Central Secretariat Service

CATEGORY-II

Grade-I of the General Cadre of the Indian Foreign Service, Grade 'B'.

CATEGORY-III

Grade-I of the Railway Board Secretariat Service.

1. The number of persons to be selected for inclusion in the Select List for each grade will be specified in the notice issued by the Commission.

2. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in the Appendix to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

3. Permanent officers or any officer whose name has been included in the Select List of the Grades and services mentioned in column 1 below who belongs to Scheduled Castes/Scheduled Tribes and who on 31st December, 1983 satisfy the conditions regarding length of service mentioned in column 2 shall be eligible to appear at the examination for the category of service mentioned in column 3.

Column 1	Column 2	Column 3
Section Officers' Grade of the Central Secretariat Service and/or Grade 'A' of the Central Secretariat Stenographers' Service.	Not less than 4 years approved and continuous service in the Section Officers' Grade of the Central Secretariat Service or in Grade 'A' of the Central Secretariat Stenographers' Service or in both as the case may be.	Category I
Integrated Grades II and III of the General Cadre and/or Selection Grade of the Stenographers' subcadre of the Indian Foreign Service 'B'.	Not less than 4 years approved and continuous service in integrated grades II and III of the General Cadre or in Selection Grade of the Stenographers' subcadre of the Indian Foreign Service 'B' or in both as the case may be.	Category II
Section Officers' Grade of Railway Board Secretariat Service and/or Grade A of the Railway Board Secretariat Stenographers's Service	Not less than 4 years approved and continuous Service in the Section Officers' Grade of the Railway Board Secretariat Service or in Grade 'A' of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service or in both as the case may be.	Category-III

NOTE : 1.—In the case of Grade 'A' Officers of the Central Secretariat Stenographers' Service/Railway Board Secretariat Stenographers' Service and Selection Grade of the Stenographers' Sub-Cadre of Indian Foreign Service, Branch (B) the approved service shall include half of the approved service rendered in Grade 'B'/Grade-I of that service.

NOTE : 2.—Any period of absence on Military duties may be allowed to be counted towards the prescribed length of service in any of the above posts.

NOTE : 3.—(i) Section Officers of the Central Secretariat Service/Railway Board Secretariat Service and Grade 'A' of the Central Secretariat Stenographers' Service/Railway Board Secretariat Stenographers' Service, and

(ii) Officers of the Integrated Grade-II and III of the General Cadre and Selection Grade of Stenographers' Sub-Cadre of Indian Foreign Service Branch (B) who are on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority shall be eligible to be admitted at the examination if otherwise eligible.

Provided that it shall not apply to an officer who has been appointed to an ex-cadre post or to another service on transfer and does not have a lien in the respective grade mentioned (i) and (ii).

4. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

5. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

6. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of :—

(i) obtaining support for his candidature by any means ; or

(ii) Impersonating ; or

(iii) Procuring impresonation by any person ; or

(iv) submitting fabricated document or documents which have been tempered with ; or

(v) making statements which are incorrect or false, or supressing material information ; or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination ; or

(vii) using unfair means during the examination ; or

(viii) writting irrelevant matter, including absence language or pronographic matter in the script(s); or

(ix) misbehaving in any other manner in the examination hall ; or

(x) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examination ; or

(xi) Violating any of the instructions issued to candidates alongwith their Admission Certificate permitting them to take the examination ; or

(xii) attempting to commit or as the case may be abetting the Commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses.

may in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable :—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period :—

(i) by the Commission, from any examination or selection held by them ;

(ii) by the Central Government, from any employment under them ; and

(c) to disciplinary action under the appropriate rules.

Provided that no penalty under this rule shall be imposed except after—

(i) giving the candidae an opportunity of making such representation in writing as he may wish to make in that behalf ; and

(ii) taking the representation, if any, submitted by the candidate, within the period allowed to him, into consideration.

7. The names of the candidates who are considered by the Commission to be suitable for selection on the results of the examination shall be arranged in the order of merit in a single list for candidates belonging to both the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and in that order as many candidates as are found by the Commission to be qualified, shall be recommended for inclusion in the Select Lists, upto the required number,

NOTE : Candidates should clearly understand that this is a competitive and not a qualifying examination. The number of persons to be included in each Select List on the result of the examination is entirely within the competence of Government to decide. No candidate. will, therefore, have any claim for inclusion in the Select List on the basis of his performance in this examination as a matter of right.

8. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

9. Success in the examination confers no right to selection unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate, having regard to his conduct in service, is eligible and suitable in all respects for selection.

Provided that the decision as to incligibility for selection in the case of any candidate recommendtd for selection by the Commission shall be taken in consultation with the Commission.

10. Candidate who after applying for admission to the examination after appearing at it, resigns his appointment or otherwise quits the service or severs his connection with it or whose services are terminated by his Department or who is appointed to an ex-cadre post or to another Service on 'transfer' and does not have a lien in the grades and Services mentioned in column I of the Rule 3 above will not be eligible for appointment on the results of this examination.

This, however, does not apply to a person who has been appoointed on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority.

D. K. JOHRI
Under Secretary

APPENDIX

The examination shall be conducted according to the following plan :—

Part I :—Written examination consisting of two papers in the following subjects each carrying 200 marks :—

Paper I	(i) Procedure & Practice in the Government of India Secretariat and Attached Offices.
	(ii) Office Procedure and Practice (for category III).
Paper II :	General Knowledge of the Constitution of India and Machinery of Government, Practice & Procedure in Parliament.

The papers will be of 2½ hours duration each.

Part II :—Evaluation of C. Rs. and Interview of such of the candidates as may be decided by the Commission in their discretion—200 Marks.

2. Syllabus of the examination will be as shown in the Schedule.

3. Candidates are allowed the option to answer the papers either in English or in Hindi (Devanagari). Question papers will be set in English and Hindi.

NOTE 1 :—The option will be same for all the questions and not for different questions in the same paper.

NOTE 2 :—Candidates desirous of exercising the option to answer the papers in Hindi (Devanagari), should indicate their intention to do so in the relevant column of the application form. Otherwise it would be assumed that they would answer all papers in English. The option once exercised shall be treated as final and no request for alteration in the said column shall be entertained.

NOTE : c :—Candidates exercising the option to answer in Hindi (Devanagari) may, if they so desire, give English version within brackets of the description of technical terms, if any, in addition to Hindi version.

4. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances they will be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

5. The Commission have the discretion to fix qualifying marks if any or all the parts of the examination. Only those candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written examination as may be fixed by the Commission in their discretion will be considered for evaluation of C.Rs. and called for Interview.

6. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

7. Deduction upto 5 per cent of the maximum marks in the written subjects will be made for illegible handwriting.

8. Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with the economy of words in all subjects of examination.

9. Candidates should use only International form of Indian numerals (e.g. 1, 2, 3, 4, 5, etc.) while answering question papers.

SCHEDULE

Syllabus of the Examination

Where knowledge of the Rules, Orders, Instructions etc. is required, candidates will be expected to be conversant with amendments issued upto the date of notification of this examination.

PROCEDURE AND PRACTICE IN GOVERNMENT OF INDIA SECRETARIAT AND ATTACHED OFFICES.

(For categories I and II)

This is intended to be an intensive and detailed test in methods and procedure of work in the Government of India Secretariat and Attached Offices. Some guidance on the subject can be obtained from :—

(i) Manual of Office Procedure current at the time of Notification.

(ii) Notes on Office Procedure issued by the Institute of Secretariat Training and Management.

(iii) 'Hand Book of Orders regarding use of Hindi for Official purposes of the Union' issued by the Ministry of Home Affairs.

OFFICE PROCEDURE AND PRACTICE

(For category III)

This is intended to be an intensive and detailed test in methods and procedure of work in the Ministry of Railways (Railway Board). Some guidance on the subject can be obtained from—

(i) Manual of Office Procedure current at the time of Notification issued by the Ministry of Railways (Railway Board).

(ii) 'Hand Book of Orders regarding use of Hindi for official purposes of the Union' issued by the Ministry of Home Affairs.

GENERAL KNOWLEDGE OF THE CONSTITUTION OF INDIA AND MACHINERY OF GOVERNMENT, PRACTICE AND PROCEDURE IN PARLIAMENT.

NOTE :—Knowledge of the following will be expected (i) the main principles of the Constituion of India. (ii) Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha and the Rajya Sabha and (iii) the organisation of the machinery of Government of India—designation and allocation of subjects between Ministries, Departments and Attached and Subordinate Offices and their interse.

MINISTRY OF ENERGY

(DEPTT. OF PETROLEUM)

New Delhi, the 3rd November 1983

ORDER

SUBJECT : Grant of Petroleum Exploration Licence for B-33 structure (Offshore) area measuring 25.35 sq. kms. to ONGC.

No. 0-12012/24/83-Prod.—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-rule (1) of rule 5 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central Govt. hereby grants to the Oil & Natural Gas Commission, Tel Bhavan, Dehradun (hereinafter referred to as Commission) a Petroleum Exploration Licence to prospect for Petroleum for four years from 21-1-1983 in Offshore area measuring 25.35 sq. kms the particulars of which are given in Schedule 'A' annexed hereto.

The Grant of Licence is subject to the terms and conditions mentioned below.

(a) The Exploration Licence should be in respect of Petroleum.

(b) If any minerals are found during the exploration work, the Commission should bring that to the notice of the Central Government with full particulars thereof.

(c) Royalty at the rates mentioned below shall be charged.

(i) Rs. 61/- per matric tonne or such rates as may be fixed by the Central Government from time to time on all crude oil and casing head condensate.

(ii) In case of natural gas, at such rates as may be fixed by the Central Government from time to time.

The royalty shall be paid to the Pay & Accounts Officer, Department of Petroleum, New Delhi.

(d) The Commission shall, within the first 30 days of every month, furnish to the Central Government, a full proper return showing the quantity and gross value of all crude oil, casing head condensate and natual gas obtained during the preceeding month in pursuance of the licence. The return shall be in the form given in Schedule 'B' annexed hereto.

(e) The Commission shall deposit a sum of Rs. 6000/- as security as required by rule 11 of the PNG Rules, 1959.

(f) The Commission shall pay in advance every year a fee in respect of the licence calculated at the following rates for each square kilometer or party thereof covered by the licence.

(i) Rs. 4/- for the first year of the licence;

(ii) Rs. 20/- for the second year of the licence;

(iii) Rs. 100/- for the third year of the licence;

(iv) Rs. 200/- for the fourth year of the licence;

(v) Rs. 300/- for the first and second year of renewal.

(g) The Commission shall be at liberty to determine the relinquishing of any part of the area covered by the exploration licence by giving not less than two month's notice in writing to the Central Government as required by sub-rule (3) of the rule 11 of the Petroleum & Natural Gas Rules, 1959.

(h) The Commission shall immediately on demand submit to the Central Government confidentially a full report of the geological data of all the minerals found during the exploration of oil and natural gas and shall submit without fail every six months the results of all operations, boring and exploration to the Central Government.

(i) The Commission shall take preventive measures against the hazard of fire under sea bed and/or on the surface and shall keep such equipment, supplies and means to extinguish the fire at all times and shall pay such compensation to third party and/or Government as may be determined in case of damage due to the fire.

(j) This exploration licence shall be subject to the provisions of the Oil Fields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) and the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959.

(k) The Commission shall execute a deed of the Petroleum Exploration Licence in the form applicable to offshore areas as approved by the Central Government.

ANNEXURE 'A'

Particulars of PEL—B—33 area measuring 25 35 sq. kms.

1. Structure . . . . B—33
2. PEL area . . . . 25·35 sq. kms.
3. Geographical Co-ordination

	Long				Lat		
Point—A	71°	54′	10·2″	E	18°	40′	40·8″ N
Point—B	71°	56′	08·4″	E	18°	40′	40·8″ N
Point—C	71°	54′	10·2″	E	18°	36′	40·2″ N
Point—D	71°	54′	10·2″	E	18°	36′	40·2″ N

4. Approximate distances from the prominent places on land
   Bombay . . . . 100 kms.
   Daharu . . . . 165 Kms.
5. Approximate depth of water . . . . 50 Mts.
6. Date of spudding 21-1-1983

SCHEDULE 'B'

Monthly return of crude oil, casing-head condensate and natural gas produced and value thereof

Petroleum Exploration Licence for . . . .

Area . . . .

Month and Year . . . . .

A. Crude Oil

Total No. of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purpose of petroleum explor tion operation approved by the Central Government	No of Metric Tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				

B. Casing head condensate

Total number of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purposes of petroleum exploration approved by Central Government	No. of Metric Tonnes obtained less columns 2 & 3	Remarks
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				

C. Natural Gas

Total number of cubic metres obtained	Number of cubic metres unavoidably lost or returned to natural reservoir	Number of cubic metres used for purposes of petroleum exploration approved by the Central Government	Number of cubic metres obtained less columns 2 & 3	Remarks
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				

I, Shri ——————————————— do hereby solemnly and sincerely declare and affirm that the information in this return is true and correct in every particular and make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true.

(Signature)

By order and in the name of the President of India.

RAJENDRA SINGH, Director

New Delhi, the 5th November 1983

ORDER

SUBJECT : Grant of Petroleum Exploration Licence for R-13 structure oil-shore area measuring 49.5 sq. kms to ONGC.

No. 0-12012/23/83.—Prod.—In exercise or the powers conferred by clause (i) of sub-rule (1) of rule 5 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to the Oil & Natural Gas Commission, Tel Bhawan, Dehradun (hereinafter referred to as Commission) a Petroleum Exploration Licence to prospect for Petroleum for four years from 4-1-1983 measuring 49.5 sq. kms the particulars of which are given in Schedule 'A'annexed hereto.

The Grant of Licence is subject to the terms and conditions mentioned below.

(a) The Exploration Licence should be in respect of Petroleum.

(b) If any minerals are found during the exploration work, the Commission should bring that to the notice of of the Central Government with full particulars thereof.

(c) Royalty at the rates mentioned below shall be charged.

(i) Rs. 61/- per metric tonnes or such rates as may be fixed by the Central Government from time to time all crude oil and casing head condensate.

(ii) In case of natural gas, at such rates as may be fixed by the Central Government from time to time.

The royalty shall be paid to the Pay & Accounts Officer, Department of Petroleum, New Delhi.

(d) The Commission shall, within the first 30 days of every month, furnish to the Central Government, a full proper return showing the quantity and gross value of all crude oil, casing head condensate and natural gas obtained during the preceeding month in pursuance of the licence. The return shall be in the form given in Schedule 'B' annexed hereto.

(e) The Commission shall deposit a sum of Rs. 6000/- as security as required by rule 11 of the PNG Rules, 1959.

(f) The Commission shall pay every year in advance a fee in respect of the licence calculated at the follwing rates for each square kilometer or partly thereof covered by the licence.

(i) Rs. 4/- for the first year of the licence;

(ii) Rs. 20/- for the second year of the licence;

(iii) Rs. 100/- for the third year of the licence;

(iv) Rs. 200/- for the fourth year of the licence;

(v) Rs. 300/- for the first and second year of renewal.

(g) The Commission shall be at liberty to determine the relinquishing of any part of the area covered by the exploration licence by giving not less than two month's notice in writing to the Central Government as required by sub-rule (3) of rule 11 of the Petroleum & Natural Gas Rules, 1959.

(h) The Commission shall immediately on demand submit to the Central Government confidentially a full report of the geological data of all the minerals found during the exploration of oil and natural gas and shall submit without fail every six months the results of all operations, boring and exploration to the Central Government.

(i) The Commission shall take preventive measures against the hazard of fire under sea bed and/or on the surface and shall keep such equipment, supplies and means to extinguish the fire at all times and shall pay such compensation to third party and/or Government as may be determined in case of damage due to the fire.

(j) This exploration licence shall be subject to the provisions of the Oil Fields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) and the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959.

(k) The Commission shall execute a deed of the Petroleum Exploration Licence in the form applicable to offshore areas as approved by the Central Government.

ANNEXURE 'A'

Technical data regarding R-13 structure, where PEL of 49·5 Sq. kms. is required

1. Geographical coordinations

	Long			Lat		
Point—A	72°	14′	2·55″	18°	17′	58·8″
Point—B	72°	17′	9·79″	18°	17′	58·8″
Point—C	72°	17′	9·79″	18°	13′	7·88″
Point—D	72°	14′	2·55″	18°	13′	7·88″

2. Approximate distances from prominent places on land :
   - Bombay . . . 100 kms.
   - Ratnagiri . . . 180 kms.
   - Aligarh . . . 120 kms.
3. Approximate depth of superjacent water . . . 34 mts.
4. Spudding date . . . 1-4-1983 (R-13-1)

SCHEDULE 'B'

Monthly return of crude oil, casing-head condensate and natural gas produced and value thereof.

Petroleum Exploration Licence for . . .

Area . . .

Month and Year . . .

A. Crude Oil

Total No. of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purpose of petroleum exploration operation approved by the Central Government	No. of Metric Tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

B. Casing head condensate

Total number of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purposes of petroleum exploration approved by the Central Government	No. of Metric Tonnes obtained less columns 2 & 3	Remarks
1	2	3	4	5

C. Natural Gas

Total number of cubic metres obtained	Number of Cubic metres unavoidably lost or returned to natural reservoir	Number of Cubic metres used for purposes of petroleum exploration approved by the Central Government	Number of cubic metres obtained less columns 2 & 3	Remarks
1	2	3	4	5

I, Shri ——————————do hereby solemnly and sincerely declare and affirm that the information in this return is true and correct in every particular and make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true.

(Signature)

By order and in the name of the President of India.

1. RAJENDRA SINGH, Director

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT

New Delhi, the 7th November 1983

RESOLUTION

No. J-20011/8/83.EN.I.—The Government of India have decided to constitute a *"Committee on Control of Marine Pollution particularly by Oil Discharge"*, with the following composition and Terms of Reference. This Committee shall be the apex body on all issues relating to pollution of the Seas.

2. *COMPOSITION* The composition of the Committee shall be as follows :

Chairman

1. Secretary, Department of Environment

Members

2. Secretary, Department of Ocean Development
3. Secretary, Department of Petroleum
4. Secretary, Ministry of Agriculutre
5. Secretary, Ministry of Works & Housing
6. Secretry, Department of Industrial Development
7. Secretary, Ministry of Shipping and Transport
8. Secretary, Ministry of Shipping and Transport
9. Director General, Shipping
10. Director eneral, Coast Guards
11. Representatives of 3 Major Maritime States of India Maharashtra, Tamil Nadu, West Bengal.

Member-Secretry

12. Director, Depratment of Environment.

3. *Terms of Reference* : The Terms of reference of the Committee shall be :

3.1 To serve as the Apex body for dealing with all issues relating to pollution of the Seas and to advise the Government periodically on effective steps necessary for control of Marine Pollution within exclusive economic zone of India.

3.2 To review existing laws and regulations for their comprehensiveness and completedness as legal frame work for effective enforcement of International Conventions with regard to Marine Pollution in Port areas. Coastal Waters and on the high seas and to suggest amendment to existing laws and regulations or new legislation wherever required.

3.3 To initiate action fo notification of "designated areas" under the Maritime Zones Act and other laws.

3.4 To review the administrative and technical status for effective control of marine pollution and to formulate necessary additional mechanisms and measures.

3.5 To set up speedily facilities and procedures for controlling marine pollution and for tackling Oil spill emergencies.

3.5 To draw up a time bound programme for establishing facilities and equipment in all Ports.

(i) posts to fight Oil spills.

(ii) for monitoring marine pollution and policing oil traffic or high seas.

(iii) for setting up an inspectorate to ensure that land based pollution sources are adequately controlled.

3.7 To prepare a National Oil Spill Disaster Plan.

4. The term of this Committee will be for a period of 3 Years from the date of this Resolution.

5. The Committee may submit reports and recommendations for action from time to time.

6. The Committee will meet in Delhi normlly but my meet elsewhere in India as warranted.

7. The TA/DA of the Members for attending meetings may be drawn as per rules from their parent Organisations.

8. All other incidential expenditure in relation to the work of the Committee shall be borne by the Department of Environment.

ORDER

ORDERED that a copy of the resolution be communicated to :—

(1) All Members.

(2) Cabinet Secretary, 3 copies.

(3) To Administration/Finance Division/DOEn/FA/Directors/J. S.

(4) D. M. (Environment).

(5) P. M. Secretariat.

ORDERED also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

T. N. KHOSHOO, Secy.

MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

(DEPTT. OF EDUCATION)

New Delhi, the 31st October 1983

RESOLUTION

SUBJECT : National Committee on Point 16 of the Twenty Point Programme.

No. F-1-24/83-Schools II.—Government had set up a National Committee on Point 16 of the Twenty Point Programme *vide* Resolution No. F.1-24/83 Sch.II dated the 20th May, 1983. It has now been decided to add to its membership indicated in para 3 of the said Resolution as below :—

18. Representative of the U.G.C. .....Member

The existing entry number 18 under paragraph 3 will be renumbered as 19.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be sent to all State Governments, Union Territory Administrations, all Ministries/Department of the Government of India, University Grants Commission, Prime Minister's Office National Council of Educational Research and Training, National Institute of Educational Planning and Administration and the Directorate of Adult Education.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

P. K. PATNAIK, It. Secy.

New Delhi, the 26th October 1983

No. F.10-1/83-U5.—Under Rules 3, 6 and 7 of the Memorandum of Association and Rules of the Indian Council of Social Science Research, New Delhi Shri T. N. Chaturvedi, Secretary, Ministry of Home Affairs, Government of India is nominated as a Member of the Council for a further term of three years with effect from 27-7-83.

S. K. SENGUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE

DEPARTMENT OF REVENUE

New Delhi, the 3rd December, 1983

PUBLIC NOTICES

No. DRAWBACK/PN-29/83.—Under Rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F.No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extra-ordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-17/83, dated the 1st June, 1983 :—

In the columns 'Description of goods' and 'Rate of Drawback' against sub-serrial No. 2728 *for* the existing entries the following shall be *substituted*, namely :—

Sl. No.	Description of goods	Rate of drawback	Allocation	
			Cus.	C. Ex.
2728	Readymade garments manufactured from fabrics (other than knitted/hosiery fabrics made mainly from man-made cellulosic spun yarn.	11% (Eleven percent only) of Job value. PLUS Drawback in respect of materials from which hangers, used if any, are made of. OR In case of imported hangers drawback equivalent to the actual amount of duties paid on such hangers, shall be paid in the manner laid down in GENERAL NOTE 8 (II) of the Schedule.	1%	10%

This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 1st of December, 1983.

No. DRAWBACK/PN-30/83—Under Rule 4 of the Customs & Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the

Table published in the Public Notice No. Drawback/PN-25/83 dated the 1st October, 1983:—

In the column 'Rate of Drawback' against Sub-serial No. 2505 I (A) and 2505 I (B) for the existing entries, the words 'Per Kg.' shall be inserted.

This Public Notice shall be deemed to have come into force with effect from 1st October, 1983.

No. DRAWBACK/PN-31/83.—Under Rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extra-ordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1, dated the 15th October, 1971, as amended from time to time:—

For items under Sub-serial No. 2505 I (A) and 2621 and entries relating thereto, the following shall be substituted namely :—

FOR	*READ*
(i) Below 290 deniers	Below 350 deniers
(ii) 290 deniers and above but not above 550 deniers.	350 deniers and above but not above 750 deniers.
(iii) Above 550 deniers.	Above 750 deniers.

This Public Notice shall be deemed to have come into force with effect from 11th January, 1984

Z. B. NAGARKAR, Dy. Secy.

MINISTRY OF INDUSTRY

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER (SMALL SCALE INDUSTRIES)

New Delhi, the 1st June 1983

RESOLUTION

No. 1(1)/83-SSI Bd.—In this office Resolution No. 1 (1)/83-SSI Bd. datel the 6th May 1983 re-constituting the Small Scale Industries Board, the following may be added as Serial No. 74 :

S. No. 74

Shri Ghananand Upadhyay,
State Director
Jawahar Lal Nehru Rashtriya Yuva Kendra,
108/36, Talab Gangavi Shukul,
Lucknow 1 (UP).

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

J. D. VERMA, Director (SSI Board)
& Economic Adviser

New Delhi, the 28th July 1983

RESOLUTION

No. 1(1)/83-SSI Bd.—In this office Resolution No. 1 (1)/83-SSI Bd. dated the 6th May 1983 reconstituting the Small Scale Industries Board, the following may be added as Serial No. 75 to 81.

S. No. 75

Sh Virdha Ram Phulwaria,
Member, Lok Sabha,
170, South Avenue,
New Delhi-110011.

S. No. 76

Sh. Chhitubhai Gamit,
Member, Lok Sabha,
145, North Avenue,
New Delhi-110001.

S. No. 77

Sh. Ajit Kumar Sharma,
Member, Rajya Sabha,
53, South Avenue,
New Delhi-110011.

S. No. 78

Smt. Maimoona Sultan,
Member, Rajya Sabha,
11, Thyagraja Marg,
New Delhi.

S. No. 79

Sh. Akshay Kumar Dubey,
Vice-President,
Madhya Pradesh Lift Irrigation Corpn.
Progressive Employees Union (INTUC)
P. No. 65857
68/25-F, South T. T. Nagar,
Bhopal.

S No. 80

Sh. Ravindra Pratap Singh,
E-1/80, Aresa Colony,
Bhopal-462016.

S. No. 81

Sh. N. D. Ramesh Raju,
2nd Cross, Subhash Nagar,
Mandya (Karnataka).

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. NEELAKANTAN, Director (SSI Board)
For Development Commissioner (SSI) &
Member Secretary (SSI Board)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1983.